

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2005

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां	V
	विहंगावलोकन	VI
	अध्याय – 1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नतायें	4
1.3	संग्रहण की लागत	5
1.4	प्रति निर्धारिती विक्रय कर का संग्रहण	6
1.5	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	6
1.6	बकाया कर निर्धारण	6
1.7	कर अपवंचन	7
1.8	धन वापसी	8
1.9	लेखा परीक्षा के परिणाम	8
1.10	लेखा परीक्षा के प्रति शासन की अनुक्रियाशीलता का अभाव	8
1.11	विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें/विशेष अभियान	10
1.12	प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर	10
1.13	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन	10
	अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	11
2.2	घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों के विरूद्व वाणिज्यिक कर में छूटों तथा रियायतों पर समीक्षा	12
2.3	कर योग्य विक्रय राशि का गलत छूट/निर्धारण	22
2.4	गलत ढंग से कर मुक्त माने गए विक्रयों पर कर का अनारोपण	23
2.5	मूल्य–वर्धित कर का अनारोपण	24
2.6	कर की गलत दर का लागू किया जाना	25

2.7	बंद औद्योगिक इकाइयों से कर की वसूली न होना	25
2.8	कर प्रदत्त विक्रयों का गलत कटौत्रा	28
2.9	प्रवेश कर का अनारोपण	28
	अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क	
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	31
3.2	आसवनियों की कार्यप्रणाली पर समीक्षा	32
3.3	बीयर के उत्पादन के लिए मानकों का निर्धारण न किया जाना	40
3.4	अस्वीकृत निर्यात पर उत्पाद शुल्क की वसूली न होना	41
3.5	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों पर अनुवर्ती कार्रवाई न होना	41
	अध्याय – 4 : वाहनों पर कर	
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	43
4.2	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र वाहनों पर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना तथा करों की कार्यप्रणाली	44
4.3	वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना	49
4.4	वाहन कर एवं शास्ति की कम वसूली	51
4.5	प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के मालयानों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	51
4.6	गलियारा मार्गो पर संचालित किए जा रहे उत्तर प्रदेश के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	52
4.7	बिना शुल्क आरोपण के वाहनों को आरक्षित पंजीकरण संख्याओं के आवंटन के कारण राजस्व की हानि	53
4.8	संविदा वाहनों को अनुज्ञापत्रों की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि	53

	अध्याय – 5 : भू–राजस्व	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	55
5.2	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण	56
5.3	संग्रहण प्रभारों की वसूली न होना	57
5.4	अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होना	57
5.5	व्यपवर्तन लगान, प्रव्याजि तथा अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना	58
	अध्याय – 6 : अन्य कर प्राप्तियाँ	
	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	61
6.2	मुद्रांकों का विक्रय एवं क्रय	62
6.3	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना	66
6.4	सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में/निष्पादित विलेखों द्वारा राजस्व की हानि	66
6.5	सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	67
	मनोरंजन शुल्क	
6.6	सिनेमा घरों (छवि गृहों) पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	68
6.7	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	69
	अध्याय – 7 : वन प्राप्तियाँ	
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	71
7.2	वनोपज के निवर्तन में प्रक्रिया का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि	72
7.3	बांस कूपों में कार्य निष्पादन न होना	72
7.4	वाणिज्यिक कर राजस्व का अनियमित प्रतिधारण	73

अध्याय – 8 : खनन प्राप्तियाँ		
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	75
8.2	कम स्टॉक दर्शाये जाने के कारण / स्टॉक छिपाये जाने के कारण राजस्व की हानि	76
8.3	राज्यांश की कम वसूली	77
8.4	पट्टा विलेखों का पंजीयन/नवीनीकरण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	77
8.5	निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिजों पर राज्यांश की वसूली न होना /कम वसूली होना	78
8.6	अनिवार्य किराए की वसूली न होना	79
8.7	पट्टा क्षेत्र की पुर्नस्वीकृति में विलंब के कारण राजस्व की वसूली न होना	79
8.8	विवरणी प्रस्तुत न करना	80
अध्याय – 9 : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ		
	जल संसाधन विभाग	
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	81
9.2	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	82
	सहकारिता विभाग	
9.3	लेखा परीक्षा शुल्कों का कम आरोपण	83
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	
9.4	ऋण की विलंबित पुर्नवापसी पर ब्याज का अनारोपण	84

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियाँ तथा राज्य की अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों पर राजस्व के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गये हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2003–04 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनिर्धारण/कम निर्धारण से सम्बंधित 125.53 करोड़ रूपये से अन्तर्निहित 2 समीक्षाओं सहित 42 कंडिकायें सम्मिलित हैं । कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं ।

(1) सामान्य

(i) वर्ष 2003–2004 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 8,268.68 करोड़ रूपये का सकल राजस्व वसूल किया गया जिसमें 6,788.86 करोड़ रूपये का कर राजस्व और 1,479.82 करोड़ रूपये का कर भिन्न राजस्व सम्मिलित है । शासन ने भारत सरकार से 6,020.28 करोड़ रूपये विभाज्य संघीय करों की शुद्व प्राप्तियों के अंश (4,247.14 करोड़ रूपये) तथा सहायक अनुदान (1,773.14 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त किए । इस प्रकार वर्ष के दौरान 14,288.96 करोड़ रूपये की कुल प्राप्तियां हुई । विक्रय कर /केन्द्रीय विक्रय कर (3,293.26 करोड़ रूपये) कर राजस्व का मुख्य भाग (49 प्रतिशत) है । अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियां (646.71 करोड़ रूपये) कर भिन्न राजस्व की 44 प्रतिशत लेखांकित हुई ।

(कंडिका 1.1.1 से 1.1.3)

(ii) वाणिज्यिक कर , राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2003–04 के दौरान की गई नमूना जांच में 1,96,236 प्रकरणों में 920.26 करोड़ रूपये राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि आदि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभागों ने वर्ष 2003–04 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 96,740 प्रकरणों में 392.58 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण स्वीकार किया गया ।

(कंडिका 1.9)

(2) वाणिज्यिक कर

घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों के विरूद्व वाणिज्यिक कर में छूटों एवं रियायतों पर समीक्षा में पता चला कि :

- 509.76 करोड़ रूपये मूल्य के विक्रय के पक्ष में प्रस्तुत घोषणा पत्रों, जिनमें 20.76 करोड़ रूपये का कर सन्निहित था, प्रति सत्यापन हेतु संबंधित प्राधिकारियों को नहीं भेजे गये ।

(कंडिका 2.2.5)

- अपूर्ण घोषणाओं/घोषणा पत्रों के विरूद्व छूट की गलत अनुमति तथा कर की रियायती दर के गलत आरोपण के कारण 22.56 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण /कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.2.6)

- पंजीयन प्रमाण पत्रों में शामिल न किए गए स्थानों को माल के अंतरण की गलत अनुमति के कारण 11.58 करोड़ रूपये के कर का अवमूल्यांकन हुआ ।

(कंडिका 2.2.7)

- पात्रता प्रमाण पत्रों पर 5.25 करोड़ रूपये के कर भुगतान में छूटों/आस्थगन की गलत स्वीकृति प्रदान की गई ।

(कंडिका 2.2.8)

- 27 प्रकरणों में 4.07 करोड़ रूपये के क्रय एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया गया ।

(कंडिका 2.2.9)

कर की गलत दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 45.66 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.6)

बंद औद्योगिक इकाइयों से जिन्होंने कर छूट योजनाओं के अंतर्गत कर में छूट का लाभ लिया था, 25.51 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 2.7.1 तथा 2.7.2)

(3) राज्य उत्पाद शुल्क

आसवनियों की कार्य प्रणाली पर समीक्षा में पता चला कि –

- 1.52 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल के कम उत्पादन पर 45.53 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी ।

(कंडिका 3.2.7)

- निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन प्रतिवेदनों के प्राप्त न होने के कारण 1.71 करोड़ रूपये मूल्य की विदेशी शराब के निर्यात पर शुल्क की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 3.2.11)

- आसवनियों द्वारा न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किए जाने पर 1.17 करोड़ रूपये की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 3.2.14)

बीयर के उत्पादन के लिए मानकों का निर्धारण न किए जाने के कारण 3.39 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क की हानि

(कंडिका 3.3)

(4) वाहनों पर कर

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र वाहनों पर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना एवं करों की कार्य प्रणाली

- शासकीय खाते में 6.83 करोड़ रूपये के बैंक ड्राफ्टों को जमा करने में विलंब तथा पुनर्वैधीकरण के लिए भेजे गए 84 लाख रूपये के बैंक ड्राफ्ट वापस प्राप्त नहीं हुए ।

(कंडिका 4.2.2)

- कोषालय अभिलेखों के साथ आवधिक मिलान न किए जाने के परिणामस्वरूप 3.42 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व की वसूली न होना ।

(कंडिका 4.2.3)

- अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र वाहनों पर संचालित किए जा रहे लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का आरोपण न किए जाने के परिणामस्वरूप 2.24 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.2.4(i))

लोक सेवा वाहनों/माल वाहनों तथा ओमनी बसों पर 3.68 करोड़ रूपये के वाहन कर तथा 5.31 करोड़ रूपये की शास्ति का आरोपण नहीं किया गया ।

(कंडिका 4.3)

(5) भू–राजस्व

319 प्रकरणों में प्रक्रिया व्यय के अनारोपण से 20.86 रूपये लाख की हानि ।

(कंडिका 5.2)

10 तहसीलों में वसूली प्रभार की राशि 30 लाख रूपये की वसूली न होना ।

(कंडिका 5.3)

2 प्रकरणों में अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने से 23.32 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त न होना ।

(कंडिका 5.4)

व्यपवर्तन लगान एवं प्रव्याजि की मांग सृजित न करने से 22.36 रूपये लाख का राजस्व प्राप्त न होना ।

(कंडिका 5.5)

(6) अन्य कर प्राप्तियां

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- नर्मदा घाटी विकास परियोजना द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों पर आरोपित 14.55 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गई ।

(कंडिका 6.4)

- पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य पर आधारित दस्तावेजों/प्रलेखों पर वसूली योग्य 1.63 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.5)

(7) वन प्राप्तियां

वनोपज के निवर्तन में प्रक्रिया का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप 68.27 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 7.2)

(8) *खनन प्राप्तियां*

कोयले का कम स्टॉक दर्शाये जाने के परिणाम स्वरूप 6.36 करोड़ रूपये के राज्यांश का अपवंचन ।

(कंडिका 8.2)

पट्टों का नवीनीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 7.72 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 8.4)

(9) *अन्य कर – भिन्न प्राप्तियां*

जल संसाधन विभाग

- 1997–98 तथा 1999–2000 के मध्य पूर्ण की गईं 6 सिंचाई योजनाओं पर 37.32 लाख रूपये का समुन्नति अंशदान आरोपित नहीं किया गया ।

(कंडिका 9.2)

सहकारिता विभाग

- 9 सहकारी इकाइयों में वर्ष 2000–2001 से संबंधित लेखा परीक्षा शुल्कों का कम आरोपण किए जाने के परिणामस्वरूप 35.55 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 9.3)

खाद्य विभाग

- तीन केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर ऋण की विलंबित पुनर्वापसी पर 20.03 लाख रूपये के ब्याज का आरोपण एवं उसकी वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 9.4)

अध्याय – 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2003–04 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रूपयों में)

		1999–2000	*2000–2001*	*2001–2002*	*2002–2003*	*2003–2004*
I	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
(क)	कर राजस्व	5,795.21	5,639.58	4,678.98	6,164.55	6,788.86
(ख)	कर–भिन्न राजस्व	2,468.97	1,724.33	1,601.68	1,635.48	1,479.82
	योग	***8,264.18***	***7,363.91***	***6,280.66***	***7,800.03***	***8,268.68***
II	भारत सरकार से प्राप्तियॉ					
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3,261.64	3,955.51	3,439.30	3,728.73	4,247.14[1]
(ख)	सहायता अनुदान	1,677.85	1,519.88	1,491.12	1,861.64	1,773.14
	योग	***4,939.49***	***5,475.39***	***4,930.42***	***5,590.37***	***6,020.28***
III	राज्य की कुल प्राप्तियॉ	13,203.67	12,839.30	11,211.08	13,390.40	14,288.96
IV	***III से I का प्रतिशत***	***63***	***57***	***56***	***58***	***58***

1 विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2003–2004 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षो से" का अवलोकन करें । शीर्ष "0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के ऑकड़े, जो वित्त लेखे में कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित है, को राज्य द्वारा वसूल की गई प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है ।

1.1.2 पूर्ववर्ती चार वर्षों के ऑकड़ों सहित वर्ष 2003–2004 के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*1999–2000*	*2000–2001*	*2001–2002*	*2002–2003*	*2003–2004*	*2002–2003 की तुलना में 2003–2004 में वृद्धि (+) /कमी (–) का प्रतिशत*
1	(क) विक्रय कर (ख) केन्द्रीय विक्रय कर	2,555.08	2,766.57	2,360.74	2,906.20	3,293.26	(+) 13.31
2	राज्य उत्पाद शुल्क	1,073.38	974.94	704.68	890.32	1,085.89	(+) 21.97
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	470.12	477.08	444.96	535.05	614.49	(+) 14.85
4	विद्युत पर कर एवं शुल्क	611.48	447.91	268.19	801.26	697.06	(–) 13.00
5	वाहनों पर कर	402.01	405.90	393.33	428.64	454.92	(+) 6.13
6	माल एवं यात्रियों पर कर	428.36	333.85	262.40	351.20	390.99	(+) 11.33
7	आय एवं व्यय पर अन्य कर, वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	1,79.58	167.50	173.05	187.44	188.90	(+) 0.78
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	26.94	22.95	19.99	20.08	15.32	(–) 23.70
9	भू–राजस्व	43.26	38.47	48.21	40.44	43.63	(+) 7.89
10	होटल प्राप्तियाँ	5.00	4.41	3.43	3.92	4.40	(+) 12.24
	योग	*5,795.21*	*5,639.58*	*4,678.98*	*6,164.55*	*6,788.86*	*(+) 10.13*

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2002–2003 की तुलना में वर्ष 2003–2004 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों का नीचे उल्लेख किया गया है :–

विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर : दूरसंचार नेटवक्र आदि में प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोन यंत्रों, उपकरणों , संयंत्र एवं मशीनरी के उपयोग पर कर आरोपण तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (13.31 प्रतिशत) हुई ।

राज्य उत्पाद शुल्क : देशी स्पिरिट , विदेशी मदिरा तथा स्पिरिट शीर्ष के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों और राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (21.97 प्रतिशत) हुई ।

माल एवं यात्रियों पर कर : " स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर " शीर्ष के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों तथा राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (11.33 प्रतिशत) हुई ।

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस : "मुद्रांकों की बिक्री " शीर्ष के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों तथा राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (14.85 प्रतिशत) हुई ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क : " विद्युत की खपत एवं बिक्री पर कर " शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी (13 प्रतिशत) हुई ।

अन्य विभागों से भिन्नता से संबंधित कारण यद्यपि मांगे गये थे , पर प्राप्त नहीं हुए (मई 2005)

1.1.3 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2003–04 के दौरान वसूल किए गए मुख्य कर– भिन्न राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	*राजस्व शीर्ष*	*1999–2000*	*2000–2001*	*2001–2002*	*2002–2003*	*2003–2004*	*2002–2003 की तुलना में 2003–2004 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत*
1	ब्याज प्राप्तियॉं	257.07	184.56	246.59	32.05	19.22	(–) 40.03
2	डेयरी विकास	7.87	0.04	–	—	—	—
3	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	254.78	208.14	237.68	249.32	144.57	(–) 42.01
4	वानिकी एवं वन्य जीवन	315.28	372.56	306.45	497.30	496.75	(–) 0.11
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	867.84	721.04	528.39	590.69	646.71	(+) 09.48
6	विविध सामान्य सेवाऐं (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	101.02	75.17	141.03	120.94	22.92	(–) 81.05
7	शक्ति (विद्युत)	478.87	0.28	0.05	0.24	0.12	(–) 50.00
8	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	66.85	47.17	39.15	24.64	37.80	(+) 53.41
9	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	15.45	8.76	16.14	20.36	10.98	(–) 46.07
10	सहकारिता	18.39	16.79	13.23	14.45	15.60	(+) 07.96
11	लोक निर्माण	13.03	21.84	6.75	8.57	9.09	(+) 06.07
12	पुलिस	33.96	32.95	42.49	39.23	24.99	(–) 36.30
13	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	38.56	35.03	23.73	37.69	51.07	(+) 35.50
	योग	*2,468.97*	*1,724.33*	*1,601.68*	*1,635.48*	*1,479.82*	*(–) 9.52*

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2002–03 की तुलना में वर्ष 2003–04 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारण नीचे दिये गये हैं :

विविध एवं सामान्य सेवाएं : बेदावा निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी (81.05 प्रतिशत) हुई ।

अन्य विभागों से भिन्नता संबंधी कारण यद्यपि मांगे गये थे , पर प्राप्त नहीं हुए (मई 2005)

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं

(क) कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षो में वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताऐं नीचे दर्शाई गई है :

(करोड़ रूपयों में)

	राजस्व शीर्ष	*बजट अनुमान*	*वास्तविक प्राप्तियाँ*	*भिन्नताएं वृद्धि (+)/कमी (–)*	*भिन्नता का प्रतिशत*
क.	कर राजस्व				
1.	विक्रय कर	3340.00	3293.26	(–) 46.74	1.40
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1100.00	1085.89	(–) 14.11	1.28
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	610.00	614.49	(+) 4.49	0.74
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	628.64	697.06	(+) 68.42	10.88
5.	भू राजस्व	60.00	43.63	(–) 16.37	27.28
ख	कर–भिन्न राजस्व				
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	400.00	496.75	(+) 96.75	24.19
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	658.18	646.71	(–) 11.47	1.74
3.	सहकारिता	11.00	15.60	(+) 4.60	41.82

एक विभाग द्वारा प्रतिवेदित बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्ति में सारभूत भिन्नता के कारण निम्नानुसार थे :

विद्युत पर कर एवं शुल्क : बकाया की वसूली तथा टैरिफ में वृद्धि के कारण वृद्धि (10.88 प्रतिशत) हुई ।

अन्य विभागों से बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नता के कारण यद्यपि मंगाये गए थे, पर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2005) ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2001–2002, 2002–2003 तथा 2003–2004 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2001–02 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार था :

(करोड़ रूपयों में)

	राजस्व शीर्ष	*वर्ष*	*संग्रहण*	*राजस्व संग्रहण पर व्यय*	*संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत*	*वर्ष 2001–2002 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत*
1	विक्रय कर	2001–02	2360.74	37.42	1.59	1.26
		2002–03	2906.21	41.14	1.42	
		2003–04	3293.26	50.84	1.54	
2	वाहनों पर कर तथा माल एवं यात्रियों पर कर	2001–02	655.73	10.94	1.67	2.99
		2002–03	779.84	14.71	1.89	
		2003–04	845.91	16.27	1.92	
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2001–02	704.68	87.64	12.44	3.21
		2002–03	890.32	106.28	11.94	
		2003–04	1085.89	226.27	20.84	
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2001–02	444.96	59.87	13.46	3.51
		2002–03	535.05	56.48	10.56	
		2003–04	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य उत्पाद शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की संग्रहण लागत राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा काफी अधिक थी । इन करों एवं फीस के संग्रहण व्यय को कम रखने हेतु कार्रवाई वांछित है ।

वर्ष 2003–04 के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से संबंधित राजस्व के संग्रहण पर संग्रहण की लागत एवं व्यय के विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1.4 *प्रति निर्धारिती बिक्रय कर का संग्रहण*

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	*निर्धारितियों की संख्या*	*विक्रय कर राजस्व*[1]	*राजस्व/निर्धारिती*
1999–2000	1,83,166	2,583.37	0.014
2000–2001	1,53,735	2,272.42	0.015
2001–2002	2,10,104	2,393.44	0.011
2002–2003	2,24,298	2,923.62	0.013
2003–2004	2,23,157	3,370.75	0.015

1.5 *बकाया राजस्व का विश्लेषण*

31 मार्च 2004 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में बकाया राजस्व की राशि 872.81 करोड़ रूपये थी, जिसमें से 38.45 करोड़ रूपये की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*31 मार्च 2004 को बकाया राशि*	*31 मार्च 2004 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि*
1.	वाहनों पर कर	20.35	उपलब्ध नहीं कराई गई
2.	उत्पाद शुल्क	43.39	22.21
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	52.83	7.31
4	विक्रय कर	646.47	उपलब्ध नहीं कराई गई
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	49.59	उपलब्ध नहीं कराई गई
6	सहकारिता	8.66	3.96
7	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	51.52	4.97 (28 जिलों में)
	योग	***872.81***	***38.45***

1.6 *निर्धारण का बकाया*

विक्रय कर , व्यवसाय कर , गन्ने पर क्रय कर , प्रवेश कर , पट्टा कर , विलासिता कर तथा निर्माण संविदाओं आदि पर कर के संबंध में विक्रय कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण , वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके प्रकरण , वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष 2003–04 के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

[1] विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े वित्त लेखे के आंकड़ों से भिन्न हैं ।

कर का नाम	*प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण*	*निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण*	*वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण*	*वर्ष के अंत में शेष*	*कालम 4 से 5 का प्रतिशत*
वित्त विभाग						
विक्रय कर	*2,59,313*	*3,23,197*	*5,82,510*	*2,96,147*	*2,86,363*	*50.84*
मोटर स्पिरिट कर	—	—	—	—	—	—
व्यवसाय कर	*83,576*	*99,390*	*1,82,966*	*94,912*	*88,054*	*51.87*
गन्ने पर क्रय कर	—	—	—	—	—	—
प्रवेश कर	*1,36,509*	*1,97,180*	*3,33,689*	*1,73,980*	*1,59,709*	*52.14*
पट्टा कर	—	—	—	—	—	—
विलासिता कर	*471*	*681*	*1152*	*713*	*439*	*61.89*
निर्माण संविदाओं पर कर	*1,201*	*883*	*2,084*	*1,028*	*1,056*	*49.33*
योग	***4,81,070***	***6,21,331***	***11,02,401***	***5,66,780***	***5,35,621***	***51.41***

1.7 कर अपवंचन

विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार इन विभागों द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के प्रकरणों , निराकृत किए गए प्रकरणों तथा अतिरिक्त कर हेतु सृजित मांग से संबंधित विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*कर/शुल्क का नाम*	*31 मार्च 2003 को लंबित प्रकरण*	*2003–2004 के दौरान पकड़े गए प्रकरण*	*योग*	*उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई*		*31 मार्च 2004 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या*
					प्रकरणों की संख्या	*मांग की राशि*	
1	विक्रय कर	240	172	412	262	22.57	150
2	राज्य उत्पाद शुल्क	1,217	332	1,549	245	0.02	1,304

1.8 धन वापसी

विभाग द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2003–2004 के प्रारंभ में लंबित धन वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों तथा वर्ष 2003–2004 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*श्रेणी विवरण*	*राज्य उत्पाद शुल्क*	
		प्रकरणों की संख्या	*राशि*
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	176	1.43
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	17	0.30
3.	वर्ष के दौरान की गई धन वापसियाँ	35	0.79
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	158	0.94

1.9 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,96,236 प्रकरणों में 920.26 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभागों द्वारा 2003–2004 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 96,740 प्रकरणों में 392.58 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों को स्वीकार किया । शेष प्रकरणों के सम्बंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रतिवेदन में 125.53 करोड़ रूपये के करों, शुल्कों, ब्याज तथा शास्तियों आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित दो समीक्षाओं सहित 42 कंडिकायें समाविष्ट हैं । विभागों/शासन ने 26.26 करोड़ रूपए की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है ।

1.10 लेखा परीक्षा के प्रति शासन की प्रत्युत्तरदायिता का अभाव

मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से सम्बंधित दिसम्बर 2003 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि वर्ष 1980–81 से दिसम्बर 2003 के अंत तक 5929 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित 20261 कंडिकाएं लंबित रहीं । लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं की विभागवार स्थिति निम्नानुसार थी :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*विभाग*	*निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या*	*कंडिकाओं की संख्या*	*राशि*
1	वाणिज्यिक कर	952	5,749	422.82
2	भू–राजस्व	1,449	3,745	988.92
3	राज्य उत्पाद	332	1,120	489.95
4	मनोरंजन	162	219	3.82
5	खनन	204	613	343.67
6	मोटर वाहन कर	236	1,532	269.88
7	विद्युत	80	251	173.45
8	पंजीयन तथा मुद्रांक शुल्क	862	1,960	70.36
9	डी.आर.ए.पी. (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	1,057	3,521	329.41
10	वन	595	1,551	857.74
	योग	*5,929*	*20,261*	*3,950.02*

वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व तथा पंजीयन विभाग से सम्बंधित उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि कार्यालय प्रमुख तथा विभागाध्यक्षों द्वारा बहुत से निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित किए गए दोषों/त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बंध में कार्रवाई प्रारंभ करने में उनकी विफलता को इंगित करता है । विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा भी, जिन्हें अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति के बारे में अवगत कराया गया था, सम्बंधित कार्यालयों द्वारा त्वरित एवं समयोचित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने के लिए नहीं कहा गया ।

वित्तीय अनियमितताओं तथा शासकीय हानि को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई न किए जाने से इनकी निरन्तरता को बढ़ावा मिला । यह संस्तुति की जाती है कि शासन, उन अधिकारियों के विरूद्ध, जो निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित करने में विफल रहे, कार्रवाई हेतु प्रक्रिया की पुनः जाँच करें, एक समयबद्ध प्रक्रिया से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली हेतु कार्रवाई करे तथा विभाग में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करे ।

1.11 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें/विशेष अभियान

उच्चाधिकार समिति, जिसमें शासन के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार शामिल थे, की बैठक जून 2003 में हुई जिसमें वन विभाग से सम्बंधित 13 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 137 कंडिकाओं का निराकरण किया गया । नवम्बर 2003 में विशेष अभियान के परिणामस्वरूप , वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित 71 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 894 कंडिकाओं का निराकरण किया गया ।

1.12 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया गया । विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को सम्बंधित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके नाम से भेजा गया था । विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों ने प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं किए । इन कंडिकाओं को विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है ।

1.13 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 9 दिसम्बर 2004 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 1994–95 तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है ।

अवधि 1995–96 से 2001–2002 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं । वर्ष 1985–86 तक की लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं , वर्ष 1986–87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर केवल आठ विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 1,282 प्रकरणों में सन्निहित 135.46 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से सम्बंधित प्रकरण प्रकाश में आए, जिनको मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	घोषणा पत्रों /प्रमाण पत्रों के विरूद्व वाणिज्यिक कर में छूट तथा रियायतों पर समीक्षा	01	64.90
2	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	212	6.94
3	कर की गलत दर का लागू किया जाना	150	3.38
4	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	113	6.42
5	छूट/कटौती/समंजन की गलत स्वीकृति	295	17.87
6	अन्य	511	35.95
	योग	***1,282***	***135.46***

वर्ष 2003–04 के दौरान, विभाग ने 506 प्रकरणों में 35.51 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया ।

वाणिज्यिक कर में घोषणा पत्रों एवं प्रमाण पत्रों पर छूट एवं रियायतों पर समीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों, जिनमें 71.19 करोड़ रूपये राशि सन्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दी गई है :

2.2 वाणिज्यिक कर में घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों के विरूद्ध छूटों एवं रियायतों पर समीक्षा

विशेषतायें :

- 509.76 करोड़ रूपये मूल्य के विक्रय के पक्ष में प्रस्तुत घोषणा–पत्र, जिनमें 20.76 करोड़ रूपये का कर सन्निहित था, प्रति सत्यापन हेतु संबंधित प्राधिकारियों को नहीं भेजे गए ।

(कंडिका 2.2.5)

- अपूर्ण घोषणा–पत्रों पर छूट की गलत स्वीकृति एवं कर की रियायती दर के गलत आरोपण के कारण 22.56 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

(कडिका 2.2.6)

- पंजीयन प्रमाण–पत्रों में दर्ज नहीं किए गए स्थानों को माल के स्थानान्तरण की गलत स्वीकृति के कारण 11.58 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण ।

(कंडिका 2.2.7)

- पात्रता प्रमाण--पत्रों पर 5.25 करोड़ रूपये के कर के भुगतान का आस्थगन /छूटों की गलत स्वीकृति ।

(कंडिका 2.2.8)

- 27 प्रकरणों में 4.07 करोड़ रूपये के क्रय कर एवं शास्ति को आरोपित/अधिरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.9)

2.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निर्वन्धनों तथा शर्तो जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाये के अध्यधीन रहते हुए व्यापारियों के किसी वर्ग या किसी माल या माल के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से ऐसी समयावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं छूट दे सकेंगी । राज्य अधिनियम यह अपेक्षा भी करता है कि इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय से पूर्णतः या अंशतः छूट प्राप्त माल का क्रय करने वाला पंजीकृत व्यापारी इस आशय की एक घोषणा–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि क्रय किए गए माल का उपयोग ऐसी छूट या रियायत प्रदान करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उद्धेश्य के लिए /तरीके से एवं विनिर्दिष्ट समयावधि में किया गया ।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956(के.वि.क.अ.) के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायी विहित घोषणा–पत्रों के आधार पर पंजीकृत व्यापारियों, शासन को अन्तर्राज्यीय विक्रय, शाखाओं/एजेन्ट को माल के स्थानान्तरण के लिए एवं भारत राज्य की सीमा के बाहर माल के निर्यात पर कतिपय छूटों एवं रियायतों का पात्र है ।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के समग्र प्रभार में कार्य करता है। उनकी सहायता मुख्यालय तथा मण्डल स्तर पर आठ अपर आयुक्तों मण्डल तथा संभाग दोनों स्तरों पर 23 उपायुक्तों (उ.आ.), 59 सहायक आयुक्तों (सहा.आयु.) 155 वाणिज्यिक कर अधिकारियों (वा.क.अ.) 266 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों (सहा.वा.क.अधि.) तथा 306 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा की जाती है । प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, विभाग के प्रशासकीय प्रमुख है ।

2.2.3 लेखा परीक्षा के उद्धेश्य

अभिलेखों की नमूना जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई :

- अधिनियम, नियमों तथा प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन;
- विभाग द्वारा घोषणा पत्रों के सत्यापन के लिए विहित प्रक्रियाओं एवं नियमों की प्रभावशीलता;
- घोषणा–पत्रों के सत्यापन एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा उनके समुचित उपयोग के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता ।

2.2.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

94 कर निर्धारण अधिकारियों में से 36 कर निर्धारण अधिकारियों के कर निर्धारण प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण अप्रैल 1998 से मार्च 2003 के मध्य किया गया था, की नमूना जांच जुलाई 2003 एवं अप्रैल 2004 के मध्य की गई थी ।

2.2.5 घोषणा–पत्रों के सत्यापन में आंतरिक नियंत्रण की कमी

आयुक्त वाणिज्यिक कर ने जून 1984 तथा जून 1997 के अपने अनुदेशों में समस्त कर निर्धारण प्राधिकारियों को 20,000 रूपये से अधिक के समस्त घोषणा–पत्रों की एक सूची उन वृत्तों को, जिनके अधिकार क्षेत्र में घोषणा–पत्रों/प्रमाण–पत्रों को जारी किया गया था, सत्यापन हेतु भेजने के लिए निर्देश दिए थे । इस सम्बन्ध में संबंधित वृत्तों से सूची के भेजे जाने की दिनांक से एक माह के अन्दर सत्यापन प्रतिवेदन का प्राप्त होना अपेक्षित था । लेकिन शीर्ष स्तर पर ऐसे सत्यापन पर निगरानी रखने के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी ।

10 इकाईयों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि किसी भी इकाई में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन प्रकरणों जिनमें सत्यापन अपेक्षित था, का न तो अभिलेख संधारित किया गया था और न ही उनके द्वारा संबंधित वृत्त कार्यालयों को घोषणा–पत्रों/प्रमाण–पत्रों की कोई सूची भेजी गई थी । यह ज्ञात हुआ कि नौ कार्यालयों में 491.83 करोड़ रूपये मूल्य के 146 प्रकरणों, जिनमें 19.08 करोड़ रूपये की कर राशि सन्निहित थी, को संबंधित वृत्त कार्यालयों से सत्यापन कराये बिना अप्रैल 2001 एवं मार्च 2003 के मध्य निर्णित किया गया, यद्यपि घोषणा–पत्र 20,000 रूपये की निर्धारित सीमा से अधिक के थे ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि कार्य की अधिकता तथा स्टाफ की कमी के कारण सूचियां प्रति सत्यापन हेतु नहीं भेजी जा सकीं । यह स्पष्ट रूप से अनुदेशों का उल्लंधन है । इसके अतिरिक्त, शीर्ष स्तर पर घोषणा–पत्र के सत्यापन पर निगरानी रखने के लिए सतत् मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

- बिहार राज्य के आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने फरवरी 1996 में मध्य प्रदेश के आयुक्त, वाणिज्यिक कर को सूचित किया कि बिहार राज्य के व्यापारियों द्वारा सी/एफ फार्म्स के विरूद्व क्रय/माल का अन्तरण के संबंध में सी/एफ प्रपत्रों में फर्जी घोषणा–पत्र उपयोग में लाए जा रहे थे । आयुक्त, वाणिज्यिक कर बिहार ने बिहार राज्य के व्यापारियों द्वारा जारी किए गए सी/एफ प्रपत्रों को जारी कर्ता वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाने तक स्वीकार न करने का भी अनुरोध वाणिज्यिक कर आयुक्त म.प्र. से किया था ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्य प्रदेश ने भी राज्य के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को कर निर्धारण निर्णित किए जाने से पूर्व उन संव्यवहारों का प्रति सत्यापन, जो ऐसे घोषणा–पत्रों से समर्थित हैं, कराने हेतु जुलाई 1996 में अनुदेश जारी किए थे ।

1 सहा.आयुक्त भोपाल, देवास, इंदौर, रतलाम, उज्जैन
वा.कर अधिकारी 2 एवं 3 भोपाल एवं वा.कर अधिकारी –1 रतलाम

पांच इकाइयों [2] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नौ प्रकरणों में 17.93 करोड़ रूपये मूल्य के विक्रयों/माल के अन्तरणों के लिए बिहार राज्य के व्यापारियों, जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2001 तथा नवम्बर 2002 के मध्य हुआ, द्वारा सी/एफ प्रपत्रों पर जारी घोषणा–पत्रों पर कर की रियायती दर/ करके भुगतान से छूट प्रदान की गई थी । कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुदेशों के उपरान्त प्रति सत्यापन नहीं किया गया, यद्यपि 1.68 करोड़ रूपये की कर राशि सन्निहित थी ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात विभाग ने बताया कि इन संव्यवहारों का भविष्य में प्रति सत्यापन कराया जाएगा ।

प्रकरण में की गई कार्रवाई के संबंध में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

- आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा 29 जून 1984 को जारी अनुदेशों के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों जिनके आधार पर छूटें प्रदान की गई थीं, की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए कर निर्धारण अधिकारियों के कार्य की संवीक्षा की जानी अपेक्षित थी । आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को एक सत्यापन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित था ।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इकाइयों, जिनकी नमूना जांच की गई थी, में आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया था । परिणाम स्वरूप की गई घोषणा पत्रों /प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सत्यता का सत्यापन या जांच नहीं की जा सकी । आयुक्त, वाणिज्यिक कर के ध्यान में नहीं लाई जा सकी ।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों के असत्यापन की पुष्टि की एवं बताया कि आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु निर्मित छः में से चार इकाइयां स्टाफ की पद स्थापना न होने के कारण बिल्कुल कार्य नहीं कर रहीं थी ।

2.2.6 अपूर्ण घोषणा – पत्रों पर रियायत/छूट की गलत स्वीकृति

भारत की सीमा के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय होने पर कर से मुक्ति दी जाती है, बशर्ते कि विक्रय वध्य प्रमाण पत्र फार्म–एच के साथ निर्यात अनुबन्ध तथा सत्यापित निर्यात हो । इसी तरह राज्य के बाहर की शाखाओं को माल स्थानान्तरण, अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा शासन को प्रदाय फार्म–एफ, सी व डी समर्थित होना चाहिये ।

[2] सहायक आयुक्त देवास एवं इन्दौर(4)

<u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉं) 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष</u>

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 68 व्यवसाइयों ने उनके द्वारा किए गए विक्रय के समर्थन में अपूर्ण घोषणा पत्र प्रस्तुत किए फिर भी, निर्धारण प्राधिकारियों ने छूट/रियायत की गलत स्वीकृति प्रदान की परिणाम स्वरूप 22.56 करोड़ रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

निर्यात से संबंधित प्रकरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.	*कर निर्धारण वर्ष/इकाइयों की संख्या*	*व्यापारियों/ प्रकरणों की संख्या*	*अभ्युक्तियों की प्रकृति*	*राशि*
1	<u>अप्रैल 2001 से मार्च03</u> 9 इकाइयां	23	199.31 करोड़ रूपये के निर्यात विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्रों में पूर्ण विवरण जैसे कि क्रय आदेश के जारी होने का दिनांक. निर्माताओं तथा विदेशी क्रेताओं के मध्य अनुबन्ध नहीं थे । इसके अतिरिक्त कोई भी कर निर्धारण निर्यातक एवं विदेशी क्रेता के मध्य निर्यात अनुबंधों पर आधारित नहीं था । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा घोषणा पत्र निरस्त किए जाने योग्य थे तथा माल कर आरोपित किए जाने योग्य थे ।	8.43

टिप्पणी : इसे इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि भारत के बाहर माल के निर्यात को सिद्व करने के लिए प्रकरण की नस्ती में पर्याप्त साक्ष्य थे । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपूर्ण घोषणा पत्रों के आधार पर छूट प्रदान की गई थी, जिन्हें निरस्त किया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त निर्यातक एवं विदेशी क्रेता के मध्य कोई अनुबन्ध नहीं था ।

शाखा अन्तरण से संबंधित प्रकरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.	*कर निर्धारण वर्ष/इकाइयों की संख्या*	*व्यापारियों/ प्रकरणों की संख्या*	*अभ्युक्तियों की प्रकृति*	*राशि*
2	अप्रैल 2001 से मार्च 03 8 इकाइयां	15	112.86 करोड़ रूपये मूल्य के माल के शाखा अन्तरण के समर्थन में प्रस्तुत फार्म 'एफ' में घोषणा पत्रों में पूर्ण विवरण नहीं थे जैसे कि माल के सुपुर्दगी का दिनांक लारी/रेल्वे रसीद का क्रमांक एवं दिनांक, अनुलग्नक अधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे । कर निर्धारण अधिकारियों ने घोषणा पत्रों को निरस्त करने के बजाय विक्रयों को कर के आरोपण से छूट प्रदान की ।	11.71

टिप्पणी : इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया कि राज्य के बाहर माल के अन्तरण को सिद्व करने के लिए प्रकरण नस्ती में पर्याप्त साक्ष्य थे । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि छूटें अपूर्ण घोषणा पत्रों पर आधारित थी जो कि अमान्य करने योग्य थे । फार्म 'एफ' जो अपूर्ण हैं, के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य प्रकरण नस्ती में नहीं थे ।

शासकीय विभागों के विक्रय/अन्तर्राज्यीय विक्रय से संबंधित प्रकरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.	*कर निर्धारण वर्ष/इकाइयों की संख्या*	*व्यापारियों/ प्रकरणों की संख्या*	*अभ्युक्तियों की प्रकृति*	*राशि*
3	मई 2001 से मार्च 03 11 इकाइयां	20	26.05 करोड़ रूपये मूल्य के अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में फार्म सी तथा डी में प्रस्तुत घोषणा पत्रों में पूर्ण विवरण जैसे कि पंजीयन की संख्या, प्रभावी दिनांक बीजक क्रमांक, दिनांक एवं राशि तथा क्रय आदेश क्रमांक और दिनांक/चालान क्रमांक एवं दिनांक नहीं थे । घोषणा–पत्र निरस्त करने योग्य थे तथा विभाग द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किए जाने के बजाय 10 प्रतिशत या राज्य के अन्दर विक्रय पर लागू होने वाली दर, जो भी अधिक हो, की दर से कर आरोपणीय था ।	1.49

टिप्पणी : इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के संचलन के दौरान कोई भी पश्चात वर्ती विक्रय, कर के भुगतान से मुक्त है । वशर्ते निर्धारित विवरण सहित तथा संबंधित पंजीकृत व्यापारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रारूप ई–1 में प्रमाण पत्र तथा प्रारूप–सी में घोषणा पत्र कर निर्धारण के समय प्रस्तुत किए गए हों ।

(करोड़ रूपये में)

क्र	*कर निर्धारण वर्ष/इकाइयों की संख्या*	*व्यापारियों/ प्रकरणों की संख्या*	*अभ्युक्तियों की प्रकृति*	*राशि*
4	अप्रैल 2001 से मार्च 2003 5 इकाइयां	10	17.29 करोड़ रूपये मूल्य के पश्चातवर्ती अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में प्रारूप ई–1 में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में रेल्वे रसीद का क्रमांक एवं दिनांक, माल की मात्रा का विवरण, जिन व्यापारियों ने प्रमाण पत्र जारी किए उन व्यापारियों के पंजीयन क्रमांक, उस स्थान तथा राज्य का नाम जब से माल का संचलन प्रारम्भ हुआ और जहां भेजा गया तथा सी फार्म में प्रापत घोषणा का क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं था ।	0.93

टिप्पणी : इसे इंगित किये जाने के बाद, विभाग ने बताया कि दो प्रकरणों में सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी तथा शेष प्रकरणों में छूट सही प्रदान की गई थी । शेष प्रकरणों में उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि छूट अपूर्ण प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदाय की गई थी, जिनको निरस्त कर देना चाहिए था ।

पुनश्च यह देखा गया कि घोषणा पत्रों जिन्हें एक बार कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, की प्रमाणिकता सत्यापन करने के लिए शीर्ष स्तर पर सतत मूल्यांकन (मानीटरिंग) का अभाव था ।

2.2.7 माल के अन्तरण की गलत स्वीकृति

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत व्यापारी के पंजीयन प्रमाण–पत्र में राज्य (राज्यों) के अन्दर या बाहर के व्यवसाय स्थलों के साथ–साथ उनका पता तथा अन्य आवश्यक विवरणों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है ।

तीन इकाईयों [3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि छः व्यापारियों के सात प्रकरणों में जिनका कर निर्धारण मई 2001 एवं जून 2002 के मध्य हुआ था, 115.84 करोड़ रूपये मूल्य के माल के शाखा अन्तरण पर उन स्थानों को जो उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र में शाखा के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं थे, कर के भुगतान से छूट दी गई थी । इसके परिणामस्वरूप 11.58 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद विभाग ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण में की गई कार्रवाई पर आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.2.8 पात्रता प्रमाण–पत्रों पर कर के छूट/अस्थगन की गलत स्वीकृति

राज्य शासन द्वारा समय–समय पर लागू की गई विभिन्न कर मुक्ति योजनाओं के अनुसार कर आस्थगन/भुगतान से पूर्व उस व्यापारी को प्रदान नहीं की जाएगी, जिसके पास वैध पात्रता प्रमाण नहीं है अथवा उन वस्तुओं /ऐसे माल का निर्माण या विक्रय करता हो जो उसके पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित/विनिर्दिष्ट न किया गया हो या पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट छूट की सीमा से अधिक वस्तुओं/माल का विक्रय करता हो ।

आठ इकाइयों [4] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 2000 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य कर निर्धारित नौ औद्योगिक इकाइयों के 21 प्रकरणों में इकाइयों ने छूट का दावा किया और उन्हें उन वस्तुओं के संबंध में छूट प्रदान की गई जिनका उल्लेख उनके पात्रता प्रमाण पत्रों में नहीं था अथवा अनुमत्य सीमा/अवधि के बाद छूट प्रदान की गई । इसके परिणाम स्वरूप 5.25 करोड़ रूपये का गलत आस्थगन / छूट प्रदान की गई । कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण निम्नानुसार है :–

- क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में दिसम्बर 2002 में कर निर्धारित दो प्रकरणों में एक व्यापारी को 32.28 करोड़ रूपये मूल्य के फ्लोरोसेन्ट ट्यूब लैम्प शैल के विक्रय पर 3.14 करोड़ रूपये के कर के

3 सहा. आयुक्त, देवास, ग्वालियर एवं इन्दौर

4 सहा. आयुक्त देवास, ग्वालियर(3) इन्दौर, वा.कर अधिकारी धार, ग्वालियर एवं वा.कर अधिकारी इन्दौर

भुगतान से छूट मान्य की गई, यद्यपि इस उत्पाद का कर मुक्त योजना, 1994 के अधीन 22 अगस्त 1996 से 21 अगस्त 2005 की अवधि के लिए व्यापारी को जारी पात्रता प्रमाण–पत्र में उल्लेख नहीं था । इसे इंगित किए जाने के पश्चात विभाग कर्रवाई करने के लिए सहमत हो गया ।

- क्षेत्रीय कार्यालय देवास में जनवरी 2000 एवं जून 2002 के मध्य कर निर्धारित 12 प्रकरणों में दो व्यापारी 3.12 करोड़ रूपये के कर अस्थगन के पात्र थे जिसके विरूद्व व्यापारी ने 4.95 करोड़ रूपये के कर आस्थगन का लाभ लिया । इसके परिणामस्वरूप 1.83 करोड़ रूपये के कर आस्थगन का अतिरिक्त लाभ लिया गया । इसे इंगित किए जाने के पश्चात विभाग कार्रवाई करने पर सहमत हो गया ।

- क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में नवम्बर 2002 में कर निर्धारित दो प्रकरणों में व्यापारी को मार्च 1998 में जारी तथा सितम्बर 1998 तक वैध अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर कर का आस्थगन मान्य किया गया । फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1999–2000के दौरान किए गए 3.41 करोड़ रूपये के विक्रय पर कर कर आस्थगन की अनुमति प्रदान की जो उचित नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 13 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ । इसे इंगित किए जाने के पश्चात विभाग कार्रवाई करने के लिए सहमत हो गया ।

2.2.9 क्रय कर / शास्ति का अनारोपण

अधिनियम के अंतर्गत एक व्यापारी जो विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के विनिर्ताण में कच्चे माल के रूप में उपयोग अथवा खपत करने के लिए बिना कर भुगतान के घोषणा पत्रों पर माल का क्रय करता है, वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर रियायती दरों पर कर का भुगतान करने के लिए दायी है । इसके अतिरिक्त यदि क्रय किया गया कर मुक्त कच्चा माल पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग या खपत नहीं किया जाता है या ऐसे कच्चे माल से निर्मित तैयार वस्तुओं को राज्य के भीतर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार में विक्रय नहीं किया जाता है तो व्यापारी ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कर की पूर्ण दर से / विभेदक दर से कर भुगतान के लिए दायी है। अधिनियम के अंतर्गत कर की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर शास्ति भी देय है ।

दस इकाइयों [5] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 27 प्रकरणों में 4.07 करोड़ रूपये के क्रय कर एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया गया । कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण निम्नानुसार है :

[5] सहा. आयुक्त, देवास, ग्वालियर, इन्दौर (5), उज्जैन, वा.कर अधिकारी रतलाम तथा वा.कर अधिकारी विदिशा

- क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में जून 2002 में कर निर्धारित एक प्रकरण में 68.01 करोड़ रूपये मूल्य का कच्चा माल (कैप्रोलेक्टम) घोषणा–पत्रों पर कर का भुगतान किए बगैर क्रय किया गया । 78 लाख रूपये का क्रय कर, यद्यपि आरोपणीय था, आरोपित नहीं किया गया । इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने 78 लाख रूपये का क्रय कर आरोपित किया ।

- क्षेत्रीय कार्यालय, देवास में मार्च 2001 तथा मई 2002 में कर निर्धारित दो प्रकरणों में औद्योगिक इकाई ने कर का भुगतान किए बगैर 13.31 करोड़ रूपये मूलय का विस्कॉस स्टेपल फाइबर क्रय किया तथा उसका उपयोग संश्लेषित धागे के विनिर्माण में किया । यद्यपि 33.25 लाख रूपये का क्रय कर आरोपणीय था, लेकिन इसके आरोपित नहीं किय गया । इसके परिणाम स्वरूप 33.25 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ । इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग कार्रवाई करने पर सहमत हो गया ।

- क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन में दिसम्ब्र 2002 में कर निर्धारित एक प्रकरण में औद्योगिक इकाई ने बिना कर का भुगतान किए 3.50 करोड़ रूपये का कच्चा माल (पेपर, प्लास्टिक, गोंद आदि) क्रय किया तथा उसका उपभोग कोरोगेटेड वाक्स (लहरदार डिब्बे) के विनिर्माण में किया । क्रय कर आरोपणीय होने के बाद भी आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 16.12 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ । इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग कार्रवाई करने पर सहमत हो गया ।

- क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में जून 2002 में कर निर्धारित एक प्रकरण में औद्योगिक इकाई ने कर का भुगतान किए बगैर 10.87 करोड़ रूपये का कच्चा माल (गेहूं) क्रय किया तथा आटा के विनिर्माण में उसकी खपत की गई । लेकिन आटा प्रेषण के आधार पर राज्य के बाहर स्थित मुख्यालय/शाखाओं को स्थानांतरित कर दिया गया । कच्चे माल के क्रय मूल्य पर क्रय कर आरोपणीय होने के बावजूद भी आरोपित नहीं किय गया । इसके परिणामस्वरूप 54 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ ।

 मई 2004 में इसे विभाग को इंगित किय गया । अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था ।

2.2.10 घोषणाओं के प्रस्तुत करने के अनधिकृत छूट

अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमों के अनुसार, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन अथवा वितरण के लिए राज्य के भीतर प्रयुक्त वस्तुओं पर, प्रारूप 32 में घोषणा प्रस्तुत करने पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया जाएगा अन्यथा पूर्ण दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त राज्य शासन अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यापारी को अधिनियम के किसी प्रावधान से या उसके अधीन विरचित किसी नियम के किसी प्रावधान से मुक्त कर सकता है ।

चार इकाइयों [6] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 8 व्यापारियों के 11 प्रकरणों में विक्रय के समर्थन में प्रारूप 32 में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा 14.03 करोड़ रूपये मूल्य के ट्रांसफार्मरों के विक्रय का कर निर्धारण अप्रैल 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य रियायती दर पर किया गया था । इसके परिणाम स्वरूप 68 लाख रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इसे इंगित किए जाने के बाद (सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य) विभाग ने बताया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अपने अनुदेश (दिसम्बर 1991) में व्यापारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर ही रियायती दर की अनुमति दी जा सकती है ।

2.2.11 सिफारिशें

शासन द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :

- छूट प्रदान करने से पूर्व घोषणा पत्रों का अन्य राज्यों/क्षेत्रों से पारस्परिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक पद्वति विकसित करना ।
- सुनिश्चित करना कि छूट/आस्थगन पूर्ण रूप से भरे घोषणा पत्रों तथा साक्ष्यों सहित समर्थित हों ।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा छूट/आस्थगन निर्धारित सीमाओं तथा पात्रता प्रमाण पत्रों के अंतर्गत हो, की मोनिटरिंग करना ।

प्रकरण जून 2004 में आयुक्त वाणिज्यिक कर तथा शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.3 कर योग्य विक्रय राशि की गलत छूट/निर्धारण

अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत जॉब कार्य में लगने वाले माल का स्थानान्तरण विक्रय है एवं कर योग्य है। रंग तथा रसायन पर क्रमशः 13.8 एवं 4.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

2.3.1 क्षेत्रीय कार्यालय, देवास के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक व्यापारी ने 1998–99 के दौरा जॉब कार्य में 3.43 करोड़ रूपये मूल्य के रंग तथा रसायनों का उपयोग किया ।

[6] सहा. आयुक्त इन्दौर, मंदसौर, रतलाम तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी रतलाम

तथापि जून 2002 में प्रकरण का निपटारा करते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय राशि को कर के भुगतान से मुक्त कर दिया । इसके परिणामस्वरूप 36.37 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, विभाग द्वारा अगस्त 2003 में 36.37 लाख रूपये की मांग सृजित की गई । वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (मई 2005) ।

2.3.2 अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत अनुमत्य कटौत्रों को घटाने के बाद कर योग्य कुल विक्रय राशि का निर्धारण किया जाता है । प्रत्येक व्यापारी द्वारा अपने लेनदेनों का सही लेखा जोखा रखना एव तद्नुसार कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त कर योग्य वस्तुओं के साथ बेची गई पैकिंग सामग्री भी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर योग्य है । 3 कार्यालयों [7] तथा पांच वृत्त कार्यालयों [8] में मार्च 1999 तथा जनवरी 2003 के मध्य कर निर्धारित 10 प्रकरणों में भाड़ा प्रभारों, पैकिंग सामग्री शामिल न किए जाने तथा प्रस्तुत विवरणियों एवं व्यापार लेखा/बैलेन्स शीट आदि के आंकड़ों का मिलान न किए जाने के परिणामस्वरूप कर योग्य विक्रय राशि का निर्धारण 1.58 करोड़ रूपये कम हुआ । इसके परिणामस्वरूप 8.12 लाख रूपये रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

इसे जुलाई 2000 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी तीन प्रकरणों में कार्रवाई करने पर सहमत हो गए तथा अन्य प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है ।

प्रकरण जनवरी 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया, उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.4 गलत ढंग से कर मुक्त माने गए विक्रय पर कर का अनारोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के साथ सहपठित अधिनियम के अंतर्गत पी.व्ही.सी., पाइपों, पैडी तथा काटन बैंडेज पर अनुसूची/अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट दरों पर वाणिज्यिक कर आरोपणीय है ।

2.4.1 क्षेत्रीय कार्यालय, देवास के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मई 2002 में कर निर्धारित एक व्यापारी ने 1998–99 में बिना कर का भुगतान किए साबुत दाल (चना) खरीदी तथा इसे किसी विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए बगैर राज्य के बाहर बेच दिया । लेकिन निर्धारण अधिकारी ने इसे पृथक दाल का विक्रय मानते हुए 2.66 करोड़ रूपये मूल्य की इन साबुत दालों पर कर का आरोपण नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 5.33 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

7 क्षेत्रीय कार्यालय – ग्वालियर तथा इन्दौर (2)

8 वृत्त कार्यालय – ग्वालियर तथा इन्दौर (4)

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.2 क्षेत्रीय कार्यालयों इंदौर तथा ग्वालियर तथा वृत्त कार्यालय, रीवा में अप्रैल 1996 से मार्च 2000 तक की अवधि के दिसम्बर 1999 तथा जनवरी 2003 के मध्य कर निर्धारित तीन प्रकरणों में 2.47 करोड़ रूपये मूल्य के पी.वी.सी. पाइपों, पैडी तथा कॉटन बैंडेज के कर मुक्त विक्रय पर, जिसमें 9.46 लाख रूपंये का कर प्रभाव अंतर्निहित था, गलत कटौत्रे की अनुमति प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप 9.46 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

मार्च 2001 तथा अगस्त 2003 के मध्य इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर द्वारा मई 2004 में 6.03 लाख रूपये की मांग सृजित की गई । अन्य प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

प्रकरण दिसम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.5 मूल्य संवर्धित कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 9(ख) के अंतर्गत मूल्यसंवर्धित कर (वेट) अवधि 1997–99 के दौरान 1 करोड़ रूपये तथा इसके बाद 50 लाख रूपये से अधिक विक्रय राशि होने की स्थिति में अधिनियम की अनुसूची II, भाग II से VII में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के पुनर्विक्रय के वर्धित मूल्य पर निर्धारित कटौत्रों के बाद आरोपणीय है । कर मुक्त इकाइयों से क्रय की गई वस्तुओं पर तथा नकद रियायत प्राप्त हुई हो लेकिन उसे वस्तुओं के क्रय मूल्य में से न घटाया गया हो, के संवर्धित मूल्य पर भी संवर्धित कर आरोपणीय है ।

पांच क्षेत्रीय कार्यालयों [१] तथा वृत्त कार्यालय, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अगस्त 2000 तथा मार्च 2003 के मध्य कर निर्धारित अप्रैल 1997 से मार्च 2000 तक की अवधि से संबंधित 12 प्रकरणों वस्तुओं के पुनर्विक्रय पर 2.47 करोड़ रूपये के संवर्धित मूल्य पर 20.03 लाख रूपये का मूल्य संवर्धित कर आरोपित नहीं किया गया ।

जनवरी तथा सितम्बर 2003 के मध्य इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद देवास, गुना, ग्वालियर तथा इंदौर के निर्धारण प्राधिकारियों ने शास्ति सहित 11.11 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित की। वसूली के संबंध में आगामी प्रतिवेदन प्रतीक्षित है । अन्य प्रकरणों में आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

१ क्षेत्रीय कार्यालय – देवास, गुना, ग्वालियर तथा इंदौर (2)

प्रकरण दिसम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया, उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.6 कर की गलत दर लागू करना

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम (म.प्र.सा.वि.क.अधिनियम) 1958 की अधिसूची II तथा अधिनियम 1994 में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय विक्रय कर/वाणिज्यिक कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

सितम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य छः क्षेत्रीय कार्यालयों [10] तथा पांच वृत्त कार्यालयों [11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 1998 से मार्च 2000 तक की अवधि से संबंधित अप्रैल 2001 तथा जनवरी 2003 के मध्य कर निर्धारित 13 प्रकरणों में, 16.51 करोड़ रूपये के विक्रय पर न्यून दरों से कर आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 45.66 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच प्रकरणों में 12.34 लाख रूपये की मांग सृजित की । अन्य प्रकरणों में अंतिम अंतर प्रतीक्षित था ।

प्रकरण अप्रैल 2003 तथा जनवरी 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया, उनका अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2005) ।

2.7 बंद औद्योगिक इकाइयों से कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम एवं अधिनियम, 1994 तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, कर मुक्ति योजनाओं, 1986 तथा 1994 के अधीन छूट प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्ति अवधि एवं कर मुक्ति की समाप्ति के दिनांक से अगले पांच वर्षों तक इकाइयों को चालू रखना होगा, इसमें असफल रहने पर इकाई द्वारा प्राप्त की गई कर मुक्ति की राशि वसूली सहित पात्रता प्रमाण पत्र रिरस्त करने योग्य होगा ।

2.7.1 क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2002 तथा जुलाई 2003 के मध्य) में पता चला कि कर मुक्ति योजना, 1986 के अंतर्गत 23 सितम्बर 1991 से 22 सितम्बर 2000

10 क्षेत्रीय कार्यालय – भोपाल, देवास, ग्वालियर (2), जबलपुर तथा उज्जैन

11 वृत्त कार्यालय – भोपाल, देवास, इन्दौर (2) तथा जबलपुर

तक की अवधि के लिए कर भुगतान से मुक्त एक औद्योगिक इकाई का संचालन 22 सितम्बर 2005 तक किया जाना अपेक्षित था । लेकिन औद्योगिक इकाई 3 जनवरी 2001 को अर्थात निर्धारित अवधि के भीतर बंद हो गई तथा 3 जनवरी 2001 से पंजीयन प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया गया । उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रकार प्रदान की गई 11.28 करोड़ रूपये की कर मुक्ति यद्यपि वसूली योग्य थी लेकिन उसकी वसूली नहीं की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी ने जुलाई 2003 में बताया कि उद्योग संचालक द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया । तथापि, पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र ग्वालियर को लिखा गया था । आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित है (मई 2005) ।

2.7.2 इसी प्रकार चार क्षेत्रीय कार्यालयों [12] में औद्योगिक इकाइयों को 1986 तथा 1994 योजनाओं के अंतर्गत 2 जनवरी 1992 से 17 जुलाई 2003 तक की अवधि के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए । कर मुक्ति अवधि के दौरान सभी इकायां बंद कर दी गई, अतः प्रदान की गई कर मुक्ति की राशि वसूली योग्य थी । लेकिन, विभाग द्वारा वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इस प्रकार शासन 14.23 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित हो गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	इकाई का नाम	कर निर्धारण की अवधि/आदेश का दिनांक	व्यापारिक वस्तु	कर प्रभाव (करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सहायक आयुक्त, ग्वालियर	1995–96 से 1998–99 तक	सी.आर. स्टील स्ट्रिप्स	3.77
अभ्युक्ति :– इकाई को 21.11.1992 से 20.11.2001 तक कर मुक्ति प्रदान की गई लेकिन इकाई को जून 1999 में बंद कर दिया गया अतः अप्रैल 1995 से मार्च 1999 तक की अवधि के लिए प्रदान की गई कर मुक्ति की राशि वसूली योग्य थी । निर्धारण प्राधिकारी ने लेखा परीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।				

[12] क्षेत्रीय कार्यालय – ग्वालियर, इन्दौर (2), रतलाम

2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त इंदौर	1998–1999 26.06.2002	पी.वी.सी. पाइप्स तथा पी.वी.सी. कम्पाउंड	1.26
अभ्युक्ति :– व्यापारी को 29.08.1995 से 28.08.2004 तक छूट प्रदान की गई, लेकिन इकाई छूट अवधि के दौरान बंद कर दी गई, अत : वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान प्रदान की गई कर मुक्ति की राशि वसूली योग्य थी । कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि इकाई बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त नहीं किया जा सकता । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिसूचना की शर्त का उल्लंघन किए जाने पर लिए गए कर लाभ की राशि वसूली योग्य थी ।				
3.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त इंदौर	1997–1998 30.3.2001	दवाऐं	0.66
अभ्युक्ति :– औद्योगिक इकाई को 1986 की कर मुक्ति योजना के अंतर्गत अवधि 1.2.1992 से 31.1.2001 तक कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी । इकाई 31.02.2006 तक संचालित की जानी अपेक्षित थी लेकिन फरवरी 1998 में उसे बंद कर दिया गया । कर मुक्ति लाभ की राशि की वसूली के साथ पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना अपेक्षित था । इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने बताया कि पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर छूट प्रदान की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शर्तों के उल्लंघन के कारण कर मुक्ति लाभ की राशि की वसूली की जानी थी ।				
4.	सहायक आयुक्त रतलाम	अप्रैल 1997 मार्च 1999	खाद्य तेल तथा घी	8.54
अभ्युक्ति :– इकाई को 1994 की योजना के अंतर्गत 18.07.1997 से 17.07.2003 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई । इकाई को 17.7.2009 तक संचालित किया जाना अपेक्षित था लेकिन उसे जुलाई 2001 में बंद कर दिया गया । कर मुक्ति लाभ की राशि वसूली योग्य थी । इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने बताया कि फैक्ट्री पट्टे पर दी गई थी एवं संचालित की जा रही थी । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि फैक्ट्री 25 अगस्त 2003 को अर्थात कर मुक्ति अवधि की समाप्ति के बाद पट्टे पर दी गई थी ।				

प्रकरण फरवरी 2002 तथा सितम्बर 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.8 कर प्रदत्त विक्रयों का गलत कटौत्रा

अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत, लोहा तथा स्टील को छोड़कर कर प्रदत्त लोहे तथा स्टील से विनिर्मित वस्तुएं करयोग्य हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार [13], लोहे तथा स्टील से फैब्रीकेटिड स्टील संरचनाओं का विनिर्माण विनिर्माण प्रक्रिया है ।

वृत्त कार्यालय, जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक प्रकरण में कर प्रदत्त लोहे तथा स्टील से विनिर्मित फेब्रीकेटिड स्टील संरचना के कर प्रदत्त विक्रय के कटौत्रे की अनुमति अप्रैल 2001 में प्रदान की गई, यद्यपि यह कर योग्य थी । इसके परिणामस्वरूप 84.97 लाख रूपये के कुल विक्रय पर 7.82 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद विभाग ने बताया कि लोहे तथा स्टील का संरचना में रूपान्तरण विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है । भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था, उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 और उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र में विक्रय, कच्चे माल या अनुषांगिक माल या संवेष्ठन सामग्री के रूप में उपयोग अथवा उपभोग के लिए माल के प्रवेश पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रवेश शुल्क आरोपणीय है ।

दिसम्बर 2002 से अगस्त 2003 के मध्य चार क्षेत्रीय कार्यालयों [14] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता कि अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2002 के मध्य कर निर्धारित आठ प्रकरणों में, 20.55 करोड़ रूपये मूल्य के मुर्गीदाने (पोल्ट्रीफीड), कागज, कार्बोफेरमटेक, लोहा तथा स्टील तथा मशीनरी एवं कलपुर्जो के प्रवेश पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 20.76 लाख रूपये के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ ।

13 मेसर्स आशिर्वाद इस्पात उद्योग तथा अन्य बनाम एस.एल.सी. तथा अन्य (1999) 32 वी.के.एन. 65

14 क्षेत्रीय कार्यालय – भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर तथा जबलपुर

दिसम्बर 2002 तथा अगस्त 2003 के मध्य इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बाद तीन प्रकरणों में निर्धारण अधिकारियों ने 5.76 लाख रूपये की मांग सृजित की, जबकि शेष 5 प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है ।

प्रकरण दिसम्बर 2002 तथा दिसम्बर 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया, उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 7660 प्रकरणों में 187.21 करोड़ रूपये की राशि का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व हानियॉं एवं शास्तियों का अनारोपण प्रकट हुआ , जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	मध्य प्रदेश में विदेशी मदिरा व्यापार में हानि	2,833	44.69
2	अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	252	11.58
3	अनुज्ञप्ति फीस/नीलाम राशि के बकाया का संचयन	627	34.65
4	अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंधन पर शास्ति का अनारोपण	819	14.19
5	अधिक छीजन पर शुल्क का अनारोपण / वसूली न होना	1,515	9.31
6	अन्य	1,613	37.43
7	आसवनियों की कार्य प्रणाली पर समीक्षा	01	35.36
	योग	***7,660***	***187.21***

वर्ष 2003–04 में विभाग ने 7167 प्रकरणों में 167.96 करोड़ रूपये राशि के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया ।

आसवनियों की कार्यप्रणाली पर समीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों , जिनमें 13.10 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है ।

3.2.1 आसवनियों की कार्यप्रणाली पर समीक्षा

प्रमुख विशेषताएं

- 1.52 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल के कम उत्पादन पर 45.53 लाख रूपये की शास्ति आरोपित न किया जाना ।

(पैराग्राफ 3.2.7)

- विदेशी मदिरा के निर्यात के सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर 1.71 करोड़ रूपये के शुल्क की वसूली न करना ।

(कंडिका 3.2.11)

- आसवनियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध न रखे जाने पर 1.17 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।।

(कंडिका 3.2.14)

3.2.2 प्रस्तावना

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः शीरा तथा अन्य मूलों जैसे महुआ, अनाज एवं साल बीज खली आदि के किण्वन तथा आसवन द्वारा किया जाता है । देशी तथा विदेशी मदिरा का विनिर्माण अल्कोहल को समिश्रित/न्यूनीकरण , योगिक एवं सुवासित या रंगने अथवा दोनों प्रक्रिया द्वारा किया जाता है । देशी और विदेशी मदिरा का विनिर्माण , वितरण तथा विक्रय मध्य प्रदेश आवकारी अधिनियम , 1915 (अधिनियम)/नियमों एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है। विनिर्माण की अनुज्ञप्ति राज्य शासन द्वारा अनुमोदन की शर्त पर आवकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष जारी/नीवीनीकृत की जाती है। यद्यपि अधिनियम में शीरे से अल्कोहल उत्पादन के मापदण्ड अधिनियम में प्रावधानित है, तथापि शीरे के अतिरिक्त अन्य मूल से अल्कोहल उत्पादन के लिए कोई मापदण्ड का उल्लेख नहीं है।

विनिर्माण , आधिपत्य , विक्रय , निर्यात तथा आयात पर शुल्क तथा फीस का आरोपण एवं संग्रहण आवकारी विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं ।

3.2.3 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग , आवकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख तथा आवकारी आयुक्त (ई.सी.) विभाग प्रमुख है । मुख्यालय ग्वालियर पर दो अतिरिक्त आवकारी आयुक्त (एडी.ई.सी.), एक आवकारी उपायुक्त (डी.ई.सी.),एक सहायक आवकारी आयुक्त (ए.ई.सी.) तथा दो जिला आवकारी अधिकारी(डी.ई.ओ.) द्वारा उनकी सहायता की जाती है । राज्य स्तर पर एक उड़नदस्ता तथा संभाग स्तर पर सात उड़नदस्ते ई.सी.के निर्देशन में कार्य करते हैं । जिले में कलेक्टर आवकारी प्रशासक होता है तथा उनकी सहायता संभाग मुख्यालय पर ए.ई.सी. तथा जिला मुख्यालय/आसवनियों तथा भांग गोदामों पर जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है ।

3.2.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

10 आसवनियों में से 9, 11 जिलों में 17 बोतल भराई इकाइयों में से 14 तथा आवकारी आयुक्त के वर्ष 1999–2000 से 2003–2004 के अभिलेखों की नमूना जांच अप्रैल 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य की गई ।

3.2.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा इस सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए की गई क्या

- कच्चे माल से एल्कोहल उत्पादन के लिए समुचित मापदण्ड की व्यवस्था है और उनका पालन किया जा रहा है ।
- विभाग द्वारा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का समुचित पालन किया जाता है ।
- शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था है ।

3.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षो के दौरान बजट अनुमान तथा आवकारी विभाग द्वारा वास्तविक प्राप्त राजस्व निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	*बजट अनुमान*	*वास्तविक प्राप्तियां*	*अन्तर*	*अन्तर का प्रतिशत*
1999–2000	1,060	1,073.38	(+) 13.38	(+) 1.26
2000–2001	1,220	974.94	(–) 245.06	(–) 20.09
2001–2002	950	704.68	(–) 245.32	(–) 25.82
2002–2003	890	896.23	(+) 6.23	(+) 0.70
2003–2004	1,100	1,098.00	(–) 2.00	(–) 0.18

उपर्युक्त से यह देखा गया कि 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में भारी अन्तर था ।

3.2.7 अल्कोहल उत्पादन के मापदण्ड प्राप्त करने में असफलता

मध्य प्रदेश आसवनी नियम,1995 में प्रावधान है कि आसवक न्यूनतम किण्वन एवं आसवन दक्षता, क्रमशः 84 एवं 95 प्रतिशत बनाये रखेगें । विभागीय प्रयोगशाला प्रतिवेदन के अनुसार शीरे में विद्यमान क्विंटल योग्य शर्करा के प्रत्येक क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन होना चाहिए । इस उद्धेश्य हेतु , आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर विभागीय प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है । आसवक के निर्धारित दक्षता बनाये रखने एवं अल्कोहल उतारी में असफल रहने की दशा में , आवकारी आयुक्त अधिकतम 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति आरोपित कर सकेंगे ।

दो आसवनियों [1] की लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभागीय प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार 29,439.5 क्विंटल किण्वन योग्य शर्करा जो 82,413 क्विंटल शीरे में थी का आसवक द्वारा प्रयोग किया गया तथा 25,50,771.00 प्रूफ लीटर वास्तविक उत्पादन के विरूद्व 27,02,547.4 प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन होना चाहिए था, परिणाम स्वरूप 1,51,776.4 प्रूफ लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ । तथापि जिला आवकारी अधिकारियों द्वारा 45.53 लाख रूपये की शास्ति आरोपण का कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :–

[1] मे. कोक्स इण्डिया लिमि. नौगांव छतरपुर एवं मे. एसोसिएटेड अल्कोहल एवं ब्रेवरीज बड़वाह खरगोन

अवधि	*आसवनी का नाम*	*प्रयुक्त शीरा क्विंटल में*	*किण्वन योग्य शर्करा की मात्रा क्विंटल में*	*मापदण्ड के अनुसार अपेक्षित उत्पादन पी.एल.*	*वास्तविक उत्पादन पी.एल.*	*कमी पी.एल.*	*शास्ति (लाख रूपयों में)*
मई एवं जून 2003	अ	738	285.68	26,225.4	25,204.00	1,021.4	0.30
अप्रैल से अक्टूबर 2003	ब	81,675	29,153.83	26,76,322	25,25,567	1,50,755	45.23
योग		*82,413*	*29,439.51*	*27,02,547.4*	*25,50,771*	*1,51,776.4*	*45.53*

अधिनियम के अधीन निर्धारित मापदण्ड की अप्राप्ति हेतु शास्ति आरोपित न करने की भी आवकारी आयुक्त द्वारा किसी भी स्तर पर मानीटरिंग नहीं की गई जबकि प्रत्येक जि.आ.अ. द्वारा उनको इस संबंध में विवरणियां भेजी गईं ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद जि.आ.अ.(आसवनी) छतरपुर में बताया कि आसवनी को नोटिस जारी किये जावेंगे । जबकि जि.आ.अ. (आसवनी) खरगोन ने बताया कि उत्पादन विभागीय प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुरूप था । उत्तर मान्य नहीं क्योंकि विभागीय प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन में भी उत्पादन निर्धारित मापदण्ड से नीचे होने का उल्लेख था । इस तरह जि.आ.अ. द्वारा शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये थी ।

3.2.8 आई.एस.एस. एवं टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होना ।

भारतीय मानक विनिर्दिष्टताऐं (आई.एस.एस.) के अनुसार कुल इन्वर्ट शर्करा[2] का 95 प्रतिशत किण्वन होता है ।

बड़वाह खरगौन की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दिसम्बर 2002 एवं दिसम्बर 2003 के मध्य आसवक ने 1,06,425 क्विंटल शीरे का प्रयोग किया । विभागीय रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार शीरे में 41984.85 क्विंटल इन्वर्ट शर्करा थी जिससे आई.एस.एस. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 38,636.41 क्विंटल किण्वन योग्य शर्करा के स्थान पर 39,885.6 क्विंटल

2 इन्वर्ट शर्करा से तात्पर्य शीरे में विद्यमान कुल घटती शर्करा की मात्रा से है ।

शर्करा उत्पादित होना चाहिए थी । इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा दर्शाई गयी 1,249.20 क्विंटल किण्वन योग्य शक्ररा कम उत्पादित हुई ,जिससे 1,14,676.56 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हो सकता था जिसमें 27.52 लाख रूपये आवकारी शुल्क अन्तर्निहित था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2003 में इंगित किया गया । जि.आ.अ. (आसवनी) ने बताया कि उतारी विभागीय प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन में दर्शायी गयी किण्वन योग्य शर्करा के प्रतिशत के आधार पर थी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं क्योंकि विभागीय विश्लेषण में दर्शायी किण्वन योग्य शर्करा की मात्रा आई.एस.एस. के मानक से काफी कम थी । इस कारण विभाग या तो आई.एस.एस. द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें अथवा स्वयं मानकों का निर्धारण करें जिससे भविष्य में होने वाली राजस्व हानि से शासन को बचाया जा सके ।

3.2.9 शीरे के अतिरिक्त अन्य मूल से अल्कोहल का उत्पादन

आवकारी आयुक्त द्वारा जून 1997 में किये गये वायदे के बावजूद राज्य सरकार ने शीरे के अतिरिक्त अन्य मूल से अल्कोहल उत्पादन हेतु मानकों का निर्धारण नहीं किया गया । तथापि, टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल(टी.ई.एम.) के प्रावधानानुसार एक कुन्टल अनाज जिसमें गेहूं,ज्वार अथवा मक्का सम्मिलित है से 40.03 प्रूफ लीटर अल्कोहलउत्पादन होना चाहिए जबकि महुआ एवं स्टार्च से क्रमशः 48.45 तथा 118.6 प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन होना चाहिए ।

चार आसवनियों [3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि आसवनियों ने जून 2002 से मार्च 2004 तक के मध्य 51,469 क्विंटल अनाज, 9621 क्विंटल महुआ तथा 1,95,360 क्विंटल आटा प्रयुक्त कर टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल के प्रावधान के अनुसार 257.06 लाख प्रूफ लीटर अपेक्षित अल्कोहल उत्पादन के विरूद्व 134.49 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन दर्शाया था इसके परिणाम स्वरूप 122.57 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ जिसमें 29.42 करोड़ रूपये आवकारी शुल्क सन्निहित था ।

इस प्रकार , उपर्युक्त से प्रकट होता है कि शासन को किसी प्रकार की हानि से बचने के लिए शीरे से अतिरिक्त अन्य मूलों से अल्कोहल उत्पादन हेतु मापदण्ड निर्धारण करने की आवश्यकता है ।

[3] मे. कोक्स इण्डिया लिमिटेड नौगांव , छतरपुर
मे. केडिया ग्रेट गेलियन सेजवाया , धार
में. ग्वालियर डिस्टीलरी रायरू ग्वालियर
मे. एसोसिएटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज,बड़वाह,खरगोन

3.2.10 स्प्रिट की अमान्य छीजन

आसवनी नियमों के अनुसार एक आसवनी/मद्य भण्डागार से दूसरे आसवनी/मद्य भण्डागार तक टैंकरों में परिवहन या निर्यात किये जाने पर स्प्रिट के रिसन या वाष्पीकरण पर 0.1 से 0.2 प्रतिशत के मध्य तक छीजन अनुमत्य है । अनुमत्य सीमा से परे छीजन पर आवकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी शास्ति आरोपित कर सकेंगे ।

जून 2001 एवं दिसम्बर 2003 के मध्य पांच जिला आवकारी अधिकारियों [4] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 181 परमिटों पर चार आसवनियों द्वारा 45.13 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट परिवहन/निर्यात की गई थी परन्तु मद्यभण्डागार/आयातित राज्य द्वारा 44.82 लाख प्रूफ लीटर अभिस्वीकृति की गई । 0.23 लाख प्रूफ लीटर की छीजन अनुमत्य सीमा 0.08 लाख प्रूफ लीटर से अधिक थी । यद्यपि 6.90 लाख रूपये की शास्ति आरोपणीय थी ,विभाग द्वारा उसके आरोपण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई । लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद जिला आवकारी अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण सम्बन्धित जिलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये थे ।

3.2.11 सत्यापन प्रतिवेदनों का विलम्ब से प्राप्त होना/प्राप्त न होना

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में प्रावधान हैं कि भारत के भीतर विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु निर्यातक, आयातक इकाई के प्रभारी अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्ति के 21 दिवस के भीतर निर्यात परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को सौंपेगा । यदि निर्यातक ऐसा करने में असफल रहता है तो , निर्यात की गई विदेशी मदिरा पर देय शुल्क वसूल किया जावेगा ।

- छः जिलों के जिला आवकारी कार्यालयों [5] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जून 2002 से फरवरी 2004 के दौरान 75 परमिटों पर निर्यात की गई 2.85 लाख प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा पर 1.71 करोड़ रूपये का आवकारी शुल्क अनुज्ञप्तिधारियों से वसूल नहीं किया गया जबकि 21 दिवस की अवधि के बजाय एक से 11 माह बीत जाने के बावजूद सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किये गये । विभाग द्वारा शुल्क वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई । शुल्क वसूली में विभाग के असफल रहने के परिणाम स्वरूप 1.71 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

4 बालाघाट , देवास , खरगौन , राजगढ़ एवं उज्जैन

5 छतरपुर , धार , ग्वालियर , इन्दौर , खरगोन एवं रतलाम

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जावेगी । उत्तर मान्य नहीं क्योंकि निर्धारित अवधि में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्ति के अभाव में विभाग द्वारा आवकारी शुल्क की वसूली की जानी चाहिए थी ।

- एक आसवनी में अप्रैल से सितम्बर 2003 के दौरान 43 परमिटों पर निर्यात की गई 1.98 लाख प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा पर 1.19 करोड़ रूपये आवकारी शुल्क की आसवक से वसूली नहीं की गई जबकि सत्यापन प्रतिवेदन चार से 149 दिन विलम्ब से प्राप्त हुए , परिणामस्वरूप 1.19 करोड़ रूपये शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद डी.ई.ओ.(आसवनी) ने बताया कि आसवक को आवकारी शुल्क जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

3.2.12 विदेशी मदिरा के निवर्तन न किये जाने से राजस्व हानि ।

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम,1996 में प्रावधान है कि प्रारूप एफ.एस.9 में अनुज्ञपित की समाप्ति या निरस्त किये जाने पर अनुज्ञप्ति धारक, स्पिरिट तथा बोतलों में भरी विदेशी मदिरा का संपूर्ण स्टॉक जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा। पूर्ववर्ती अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे अवशेष को अनुज्ञप्ति की समाप्ति या निरस्त किये जाने के 30 दिवस के अन्दर निवर्तन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा । यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, आवकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे अवशेष के सम्पूर्ण या उसके भाग को निर्धारित दर पर क्रय करने या उसके अन्य विधि से निवर्तन के लिए निर्देश देगा ।

जिला आवकारी अधिकारी राजगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक बोतल भराई इकाई की 13,732 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 11,752 प्रूफ लीटर स्पिरिट जिसमें 15.29 लाख रूपये का आवकारी शुल्क अंतर्निहित था का निवर्तन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की 31 मार्च 2002 तक नहीं हुआ था । अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दर्शित करता कि आवकारी आयुक्त द्वारा इस स्पिरिट के अवशेष के निवर्तनके लिए राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारक को कहा गया हो । इस प्रकार विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप 15.29 लाख का राजस्व अवरूद्व रहा ।

3.2.13 शासकीय स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना ।

मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 में प्रावधान है कि यदि आसवनी में राज्य सरकार की स्थापना पर व्यय, उससे निर्गमित स्प्रिट पर निर्गात फीस या कोई अन्य उद्ग्रहण द्वारा प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक है तो पांच प्रतिशत से अधिक व्यय राशि को आसवक से वसूल किया जाएगा ।

चार आसवनियों [6] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2002–03 में राज्य सरकार की स्थापना पर व्यय रूपये 12.20 लाख किया गया तथा शासन को 42.93 लाख रूपये राजस्व की आय हुई। इस प्रकार राज्य सरकार की स्थापना पर प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय हुई प्राप्ति योग्य राशि 10.06 लाख रूपये आसवकों से प्राप्त नहीं की गई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया कि नियमों के अनुसार मांग जारी करने की कार्रवाई की जावेगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2005) ।

3.2.14 आसवनी पर स्पिरिट का न्यूनतम स्कन्ध संधारित न करना

मध्य प्रदेश आसवनी नियम,1995 के अनुसार अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा आसवनी पर स्प्रिट का न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध संधारित करना अपेक्षित है। न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध से कम पायी गई मात्रा पर 5 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनाधिक दर से शास्ति आवकारी आयुक्त द्वारा आरोपणीय है ।

चार आसवनियों [7] के जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दिसम्बर 2002 से मार्च 2004 के मध्य 26 अवसरों पर आसवकों द्वारा स्पिरिट का न्यूनतम निर्धारित स्टाक नहीं रखा गया । फिर भी डी.ई.ओ. द्वारा 23.47 लाख प्रूफ लीटर कम पाई गई स्पिरिट पर 1.17 करोड़ रूपये शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण आवकारी आयुक्त को भेजने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई । आवकारी आयुक्त द्वारा भी स्टाक बनाये रखने हेतु मोनीटरिंग नहीं की गई जबकि जिला आवकारी अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में रिटर्न भेजे गये थे ।

6 ग्वालियर आसवनी लिमिटेड रायरू ग्वालियर
रायरू आसवनी लिमिटेड रायरू ग्वालियर
मै. एसोसियेटिड एल्कोहल प्रायवेट लिमिटेड खोडीग्राम , बड़वाह , खरगौन
मै. अग्रवाल आसवनी सबलपुरा बड़वाह खरगौन

7 मे. एसोसिएटिड अल्कोहल प्राइवेट लिमि. बड़वाह खरगौन
मे. अग्रवाल डिस्टीलरी बड़वाह खरगौन
मे. कोक्स इण्डिया लिमि. (डिस्टीलरी) नौगांव छतरपुर
में. रतलाम एल्कोहल एण्ड कार्बन डाय आक्साइड प्लांट रतलाम ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, सभी आसवनियों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि स्टाक के कम रखने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं । तथापि शास्ति आरोपण हेतु दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई ।

3.2.15 अनुशंसायें

आसवनियों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण लागू करने एवं नियमों की शिथिलता को हटाने के लिए शासन निम्न बिन्दुओं पर विचार कर सकता है :

- राजस्व क्षरण पर नियंत्रण रखने हेतु शीरा एवं अन्य मूलों से अल्कोहल उत्पादन की गणना करने तथा नियंत्रण रखने हेतु रासायनिक विश्लेषण हेतु मापदण्ड निर्धारित करना ।
- शुल्क के प्राप्त करने तथा शास्ति आरोपण के लिए कारगर आंतरिक नियंत्रण तथा मोनिटरिंग प्रणाली लागू करना ।

3.3 बीयर उतारी हेतु मानक निर्धारित न किया जाना

मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1970 एवं 2002 में बीयर उतारी के कोई मानक नहीं दिये गये हैं। तथापि टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल की कण्डिका 243 में प्रावधान है कि 84 पोण्ड माल्ट या 56 पौण्ड शक्कर से 36 गैलन वर्ट प्राप्ति योग्य है। पुनश्च, मेन्युअल की कण्डिका 208 में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान 5 प्रतिशत छीजन की मोक का प्रावधान किया गया है ।

डी.ई.ओ. भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक आसवनी में अक्टूबर 2001 से जनवरी 2004 तक की अवधि के दौरान 40005 क्विंटल माल्ट एवं 10,296 क्विंटल शक्कर प्रयुक्त हुआ था जिससे टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल के प्रावधान के अनुसार उत्पादन योग्य 238.41 लाख वल्क लीटर वर्ट के विरूद्व 185.05 लाख वल्क लीटर का उत्पादन किया गया । 53.36 लाख वल्क लीटर वर्ट या 50.69 लाख वल्क लीटर बीयर कम उतारी प्राप्त होने से 339.16 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की हानि हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आवकारी आयुक्त , भोपाल ने बताया कि नियमों में बीयर उतारी के लिए मानकों का प्रावधान नहीं है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किन्हीं मानकों के अभाव में "टैक्नीकल एक्साइस मेन्युअल" के प्रावधानों का पालन करना चाहिए । विभाग द्वारा मानक निर्धारण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

प्रकरण शासन को (मार्च 2004) प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2005) ।

3.4 निर्यात की अभिस्वीकृति के अभाव में उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि यदि निर्यातक द्वारा अनुज्ञापत्र की वैद्यता समापन अवधि के 21 दिवस की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यातित विदेशी मदिरा के सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाते तो आरोपणीय शुल्क वसूल किया जावेगा ।

जिला आवकारी अधिकारी (ब्रेवरी), इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में (नवम्बर 2003) पता चला कि जून से अक्टूबर 2003 तक की अवधि के दौरान 1.38 लाख बल्क लीटर बीयर के निर्यात पर एक अनुज्ञप्तिधारी से 13.81 लाख रूपये का आबकारी शुल्क वसूल नहीं किया गया । आयातकों से विनिर्दिष्ट अवधि के एक से पांच माह व्यतीत होने के बाद भी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए । इसके परिणामस्वरूप 13.81 लाख रूपये का आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद डी.ई.ओ. (ब्रेवरी) , इन्दौर ने बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन संकलन करने की कार्यवाही की जा चुकी है । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्धारित अवधि में सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवकारी शुल्क की वसूली नियमों में अपेक्षित है ।

प्रकरण शासन को (फरवरी 2004) प्रतिवेदित किया गया । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005)।

3.5 आर.आर.सी. प्रकरणों में कार्यवाही न होना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में आबकारी राजस्व की वसूली मुख्यतः दायी व्यकित से या उसके प्रतिभू (यदि कोई हो) से बकाया भू–राजस्व की भांति करने का प्रावधान है । पुनश्च आर.आर. सी. (राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों) प्रकरणों के अन्तिम निराकरण हेतु कार्यवाही उस तहसीलदार द्वारा की जावेगी जिसके कार्य क्षेत्र में प्रकरण घटित हुआ ।

जिला आबकारी अधिकारी मन्दसौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दो प्रकरणों में अनुज्ञप्ति रद्व करने के बाद 8.11 करोड़ रूपये के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र तहसीलदार मन्दसौर को अगस्त 2000 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य जारी किये गये । एक प्रकरण में तहसीलदार द्वारा दिसम्बर 2001 में आर.आर.सी. प्राप्त होने के बाद मांग सूचना तक जारी नहीं की गई थी , जबकि अन्य प्रकरण दूसरे तहसीलदार के कार्य क्षेत्र में आगामी कार्यवाही हेतु अनियमित रूप से कलेक्टर नीमच को स्थानान्तरित किया गया । इस प्रकार कलेक्टर नीमच को प्रकरण के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप 8.11 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद (अगस्त 2002) डी.ई.ओ. ने बताया कि बकाया की वसूली कारगर करने के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर नीमच को स्थान्तरित किया गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चूककर्ता मन्दसौर जिले का रहवासी है अतः कलेक्टर नीमच को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र स्थान्तरित किया जाना अनियमित था ।

प्रकरण शासन को (जनवरी 2003) प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

अध्याय – 4

वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 28301 प्रकरणों में 25.83 करोड़ रूपये के कर के अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1.	लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं संयोजन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	1,733	10.68
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	884	2.87
3.	अन्य	25,684	12.28
	योग	***28,301***	***25.83***

वर्ष 2003–04 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए 28,297 प्रकरणों में 25.80 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण / हानियां आदि विभाग द्वारा स्वीकार की गई ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख, जिनमें 16.80 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है :

4.2 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना की कार्य प्रणाली तथा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र वाले वाहनों पर कर

4.2.1 प्रस्तावना

सड़क मार्ग से लंबी दूरी के परिवहन के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सड़कों पर मालवाहनों के निर्वाध संचालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिसम्बर 1975 में भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना प्रारंभ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य–क्षेत्रों को पूरे देश में या गृह राज्य सहित कम से कम चार पड़ोसी राज्यों में माल के परिवहन हेतु सार्वजनिक माल वाहनों के स्वामियों को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार, किसी पर्यटक वाहन को पर्यटक अनुज्ञापत्र कुछ निर्दिष्ट शर्तो के पूरा करने के अधीन इस दृष्टि से जारी किया जाता है कि जनता को निर्वाध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन सेवा नियमित रूप से जारी रखना होती है ।

राष्ट्रीय /पर्यटक अनुज्ञापत्र को जारी करने के लिए इच्छुक वाहन संचालकों को आरोपित करों के अतिरिक्त, निर्धारित अनुज्ञापत्र तथा प्राधिकार शुल्क का भुगतान गृह राज्य को करना होता है। प्राधिकार जारी होते समय संचालक को वाहन संचालन की अनुमति मिलने के बदले में दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में या प्रत्येक वर्ष एक बार में अग्रिम रूप से संमिश्रित शुल्क का भुगतान संबंधित राज्य या केन्द्र शासित राज्य क्षेत्र को करना होता है। अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय अनुाज्ञापत्र योजना तथा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र के अंतर्गत करों एवं शुल्कों का सही आरोपण एवं वसूली नियत तिथि तक की जानी है । परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच की गई ।

4.2.2 शासकीय खाते में बैंक ड्राफ्टों को जमा किया जना

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के लेखांकन को सुनिश्चित करने, लेखांकन/नकदीकरण तथा पुनर्वेधीकरण में होने वाले विलंब को रोकने के लिए, परिवहन आयुक्त ने कर अधिकारियों को शासकीय खाते में बैंक ड्राफ्टों को शीघ्र जमा एवं क्रेडिट करने तथा कालातीत बैंक ड्राफ्टों के पुनर्वैधीकरण को सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए थे (जुलाई 1992) ।

- परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 1998 तथा अगस्त 2000 के मध्य 6.83 करोड़ रूपये के 17189 बैंक ड्राफ्ट 1 से 11 माह के विलंब से या तो कर अधिकारी द्वारा जमा कराए गए या फिर बैंकों द्वारा शासकीय खाते में विलंब से जमा किए गए । परिणामस्वरूप 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की न्यूनतम बचत बैंक दर से गणना के अनुसार शासन को 12.08 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई ।

- अन्य राज्यों से प्राप्त 84 लाख रूपये राशि के 3374 बैंक ड्राफ्टों को नवम्बर 1998 तथा मार्च 2002 के मध्य पुनर्वैधीकरण हेतु संबंधित राज्यों को प्रेषित किया गया था, लेकिन वापिस किये गए बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुए थे । बैंक ड्राफ्टों के प्राप्त होने के बाद बैधता अवधि के भीतर उन्हें शीघ्र बैंक में जमा करवाने में कर अधिकारी की विफलता के कारण शासन 84 लाख रूपये के राजस्व से वंचित हो गया ।

जुलाई 2003 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद उत्तर दिया जाएगा । की गई कार्रवाई के संबंध में आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई (मई 2005) ।

4.2.3 कोषालय के अभिलेखों के साथ आवधिक मिलान न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधान तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (जुलाई 1992) के अनुसार, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को चालान सहित शासकीय खातों में जमा करने के अनुदेशों के साथ बैंक को प्रेषित किया जाना था । यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि वास्तव में शासकीय खातों में जमा की जा चुकी है, जमा की गई राशि का कोषालय के अभिलेखों के साथ आवधिक रूप से मिलान किया जाना अपेक्षित है ।

जुलाई 2003 में परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1998–99 तथा 2002–03 के मध्य 3.42 करोड़ रूपये राशि के 8,422 बैंक ड्राफ्ट शासकीय खातों में जमा हो चुके हैं, विभाग द्वारा जमा की गई राशियों का कोषालय के अभिलेखों के साथ न तो मिलान किया गया और न ही कोई अनुवर्तन कार्रवाई की गई । परिणामस्वरूप 1 से

5 वर्षो की अवधि से संबंधित 3.42 करोड़ रूपये की शासकीय राजस्व राशि जमा नहीं कराई गई/ वसूल नहीं की जा सकी । वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी :

(लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	*वर्ष*	*जमा न किए गए/वसूल न किए गए बैंक ड्राफ्टों की संख्या*	*राशि*
1.	1998–99	555	13.58
2.	1999–2000	5,518	215.46
3.	2000–2001	259	10.43
4.	2001–2002	046	1.51
5.	2002–2003	2,044	100.93
	योग	***8,422***	***341.91***

संहिता के प्रावधानों तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप 3.42 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2003 में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद उत्तर दिया जाएगा । की गई कार्यवाही के संबंध में आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (मई 2005) ।

4.2.4 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण / कम आरोपण

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम ,1991 के अनुसार राज्य में संविदा वाहन[1] के रूप में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक मोटरवाहन पर निर्दिष्ट दर से कर देय है । यदि देय कर का भुगतान नियत समयावधि में नहीं किया जाता है, तो वाहन स्वामी का निर्धारित दर से शास्ति का भुगतान करना होगा ।

[1] संविदा वाहन से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिए की गई किसी अभिव्यक्त या निहित संविदा के अधीन उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धन राशि पर , वहन में लगा है ।

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[2], अति. क्षे.प.का., गुना तथा सिवनी तथा जिला परिवहन कार्यालय, बालाघाट के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि अप्रैल 1998 तथा मार्च 2003 के मध्य अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे 24 संविदा वाहनों के संबंध में 78.55 लाख रूपये के वाहन कर तथा 1.45 करोड़ रूपये की शास्ति का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग/वसूली की गई । इसके परिणाम स्वरूप 78.55 लाख रूपये के वाहन कर का अनारोपण हुआ । इसके अतिरिक्त 1.45 करोड़ रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी ।

मई 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि मांग नोटिस जारी किए जा चुके हैं । अन्य परिवहन अधिकारियों से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2005) ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल, इन्दौर तथा जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी के अभिलेखों की अम्टूबर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य की गई जांच में पता चला कि अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर संचालित किए जा रहे 6 संविदा वाहनों के संबंध में मई 1999 से मार्च 2003 तक की अवधि से संबंधित वाहन कर कम दर से आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 7.20 लाख रूपये के कर की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त कर के कम भुगतान के कारण 13.03 लाख रूपये की आरोपणीय शास्ति भी आरोपित नहीं की गई ।

अक्टूबर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल , इन्दौर तथा जिला परिवहन अधिकारी , शिवपुरी ने बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी । की गई कार्रवाई के संबंध में आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (मई 2005) ।

4.2.5 समझौता शुल्क का अनारोपण / वसूली न होना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रावधान है कि प्रत्येक अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र धारक को एक त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना होगी जिसमें वाहन चालक सहित स्वयं/किराए पर अनुज्ञापत्र लेने वाले व्यक्ति का नाम तथा आवासीय विवरण एवं वाहन का पंजीकरण चिन्ह के साथ साथ वाहन के यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान तथा गंतव्य स्थान और दोनों तरफ के यात्रा समय का उल्लेख किया जाएगा । उपरोक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में अनुज्ञापत्र निरस्त/निलंबित किया जा सकेगा अथवा 500/1000 रूपये तिमाही की दर से समझौता शुल्क आरोपित कर समझौता किया जावेगा ।

2 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल , इन्दौर , जबलपुर तथा सागर

जुलाई 2003 में परिवहन आयुक्त कार्यालय में संधारित अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 215 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र धारक अप्रेल 1998 तथा मार्च 2003 के मध्य की अवधि से संबंधित 1904 त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने में असफल रहे । विभाग द्वारा न तो अनुज्ञापत्रों को निरस्त या निलंबित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई और न ही चूककर्ता अनुज्ञापत्र धारकों पर 12.44 लाख रूपये का समझौता शुल्क आरोपित किया गया ।

जुलाई 2003 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर , विभाग ने बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों से वसूली की जाएगी । वसूली की आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (मई 2005) ।

4.2.6 डीलक्स बसों में स्लीपर उपलब्ध कराने के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1991 के अनुसार, प्रत्येक डीलक्स बस पर उसमें उपलब्ध कराई गई सीटों के आधार पर कर आरोपित किया जाएगा । केन्द्रीय मोटर वाहन नियम , 1989 के नियम 128(10) में डीलक्स बसों के संबंध में यात्रियों के बैठने की क्षमता , अभिन्यास , व्हीलबेस आदि की व्यवस्था को विनिर्दिष्ट किया गया है। नियमों के तहत डीलक्स बसों में स्लीपर उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल तथा इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 205''/210'' व्हील बेस की सात डीलक्स बसों में 205'' व्हील बेस की अन्य बसों की तुलना में 35 सीटों के स्थान पर 20 स्लीपर + 8 से 10 सीटों की व्यवस्था की गई और इस प्रकार मई 2001 से मार्च 2003 तक की अवधि के दौरान शासन को 7.91 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

नवम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल ने नवम्बर 2003 में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी , जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी , इन्दौर ने बताया कि उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार स्लीपर उपलब्ध करवाने की अनुमति दी गई थी । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों में डीलक्स बस में स्लीपर की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है ।

प्रकरण अगस्त 2003 तथा अप्रेल 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005)

4.3 वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना।

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए सहपठित नियम, 1991 के अनुसार , राज्य में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक मोटर वाहन पर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर पर कर देय है। यदि वाहन स्वामी द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह देय कर के अतिरिक्त कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर से शास्ति के लिए दायी होगा लेकिन यह राशि प्रत्येक माह या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए भुगतान न की गई कर राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी । शासन द्वारा फरवरी 2003 में जारी अधिसूचना द्वारा शास्ति की दर प्रतिशत के आधार पर संशोधित कर दी गई है ।

अगस्त 2002 तथा फरवरी 2004 के मध्य 18 परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रेल 1999 तथा मार्च 2003 के मध्य 1334 वाहन स्वामियों द्वारा न तो वाहन कर एवं शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार 5.31 करोड़ रूपये की शास्ति सहित 3.68 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई –

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*कार्यालय का नाम*	*संख्या / वाहन की श्रेणी*	*अवधि*	*कर*	*शास्ति*	*योग*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	5 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय[3](क्षे.प.का.) 6 सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय[4] (सहा.क्षे.प.का.) 6 जिला परिवहन कार्यालय[5] (जि.प.का.)	334 रिजर्व या स्पेअर स्टेज वाहन	अप्रैल 1999 से मार्च 2003	1.63	2.25	3.88
2.	5 क्षे.प.का. [3] 5 सहा.क्षे.प.का.[6] 6 जि.प.का.[5]	अनुज्ञापत्र पर संचालित किए जा रहे 146 लोक सेवा वाहन	अप्रैल 1999 से मार्च 2003	1.05	1.40	2.45

3 भोपाल , मुरैना , रीवा , सागर तथा उज्जैन

4 छतरपुर , गुना ,खण्डवा , खरगौन , मंदसौर तथा शहडोल

5 बालाघाट , दतिया , मंडला , राजगढ़ , शाजापुर तथा शिवपुरी

6 गुना , खण्डवा , खरगौन , मंदसौर तथा शहडोल

3.	5 क्षे.प.का.[3] 7 सहा.क्षे.प.का.[7] 6 जि.प.का.[5]	711 माल वाहन	अप्रैल 1999 से मार्च 2003	0.92	1.52	2.44
4.	3 क्षे.प.का.[8] 4 सहा.क्षे.प.का.[9] 2 जि.प.का.[10]	143 आमनी बस[11]	अप्रैल 1999 से मार्च 2003	0.08	0.14	0.22
	18 इकाइयां	*1,334*		*3.68*	*5.31*	*8.99*

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , विभाग ने अगस्त 2002 तथा फरवरी 2004 के मध्य बताया कि अभिलेखों की जांच के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

प्रकरण दिसम्बर 2002 तथा अप्रेल 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

- अगस्त 2002 तथा जनवरी 2004 के मध्य चार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[12] तथा पांच सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[13] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि अप्रेल 1999 तथा मार्च 2003 के मध्य 73 लोक सेवा वाहनों/निजी सेवा वाहनों से सम्बन्धित वाहन कर का भुगतान एक से 30 माह के विलंब से किया गया था । विलंबित भुगतान के लिए निर्धारित दरों से न तो शास्ति का आरोपण किया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा वसूली की गई । कराधान प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप 12.00 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण एवं वसूली नहीं हुई ।

अगस्त 2002 तथा जनवरी 2004 के मध्य इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , विभाग ने बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद वसूली कार्रवाई की जाएगी । की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में सूचित नहीं किया गया था (मई 2005) ।

प्रकरण दिसम्बर 2002 तथा फरवरी 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

7 छतरपुर , गुना , कटनी , खण्डवा , खरगौन , मंदसौर तथा शहडोल

8 भोपाल , मुरैना तथा रीवा

9 छतरपुर , गुना , खरगौन तथा शहडोल

10 मंडला तथा शाजापुर

11 ओमनी बस से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जो इस प्रकार से निर्मित या परिवर्तित की जाती है कि उसमें ड्राईवर के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों को ले जाया जा सके ।

12 भोपाल , मुरैना , रीवा तथा उज्जैन

13 छतरपुर , गुना , कटनी ,खण्डवा तथा खरगौन

4.4 वाहन कर एवं शास्ति की कम वसूली

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम तथा नियम,1991 के अनुसार, प्रत्येक लोक सेवा वाहन पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से कर आरोपित किया जाएगा । निजी सेवा वाहनों की तुलना में संविदा वाहन पर कर की दर अधिक है ।

4.4.1 जुलाई तथा सितम्बर 2003 के मध्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , मुरैना , अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , खण्डवा तथा शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 22 लोकसेवा वाहनों के स्वामियों ने अवधि अप्रेल 1999 तथा मार्च 2003 के मध्य कर का कम दरों से भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप 4.01 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई । कराधान प्राधिकारी कर की कम वसूली को खोजने में भी विफल रहे । फलस्वरूप 7.27 लाख रूपये की शास्ति यद्यपि आरोपणीय थी आरोपित नहीं की गई ।

4.4.2 अप्रेल 2003 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि फरवरी 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य चार लोक सेवा वाहनों को 27 संविदा वाहन अनुज्ञापत्र जारी किए गए , लेकिन कर का भुगतान निजी सेवा वाहनों के लिए लागू कर की निम्न दर के अनुसार किया गया । इस प्रकार , कराधान प्राधिकारी की विफलता के परिणाम स्वरूप 7.46 लाख रूपये के वाहन कर एवं 9.87 लाख रूपये की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।

इसे अप्रैल तथा सितम्बर 2003 के मध्य लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , विभाग ने अप्रैल तथा सितम्बर 2003 के मध्य बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी। की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में सूचित नहीं किया गया था (मई 2005) ।

प्रकरण अगस्त तथा दिसम्बर 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

4.5 प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 तथा नियम , 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों से संबंधित प्रत्येक माल वाहन पर विनिर्दिष्ट दरों के 85 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाएगा । देय कर के भुगतान न करने पर वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त विहित दर से शास्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

जुलाई 2003 में परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य में अवधि अप्रैल 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य प्रति–हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे उत्तर प्रदेश के 53 माल वाहनों से संबंधित 5.22 लाख रूपये के वाहन कर तथा 7.78 लाख रूपये की शास्ति का वांहन स्वामियों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसका आरोपण/वसूली की गई ।

जुलाई 2003 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , परिवहन आयुक्त ने जुलाई 2003 में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी । की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में सूचित नहीं किया गया था (मई 2005) ।

प्रकरण सितम्बर 2003 तथा अप्रेल 2004 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

4.6 कॉरिडोर मार्गो पर संचालित किए जा रहे उत्तर प्रदेश के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मोटर वाहन अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि जब यात्रा प्रारम्भ होने का स्थान तथा गंतव्य स्थान एक ही राज्य में स्थित हो, लेकिन ऐसे मार्ग का कुछ भाग किसी दूसरे राज्य से होकर गुजरता हो तथा ऐसे भाग की लंबाई 16 किलोमीटर से अधिक न हो, तो अनुज्ञापत्र दूसरे राज्य में भी मार्ग के उस भाग के संबंध में इस तथ्य के वावजूद भी वैध रहेगा कि ऐसा अनुज्ञापत्र उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य के मध्य निष्पादित किए गए पारस्परिक परिवहन करार में ऐस मार्ग, जिनका प्रारंभिक बिन्दु तथा अंतिम बिन्दु उत्तर प्रदेश में स्थित थे लेकिन जिनका एक छोटा भाग मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र से होकर जाता था , कॉरिडोर मार्गों के रूप में अधिसूचित किए गए थे । विभाग द्वारा मई 2002 जारी अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश में कॉरिडोर मार्गो पर संचालित किए जा रहे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोक सेवा वाहन पर मध्य प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम,1991 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई दर से कर का आरोपण एवं वसूली की जानी थी, जिसमें चूक होने पर वाहन स्वामी निर्धारित दरों से शास्ति के भुगतान का दायी होगा ।

सितम्बर 2003 में अतिरिकत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , छतरपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि अप्रैल 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य तीन कॉरिडोर मार्गो पर संचालित किए जा रहे उत्तर प्रदेश के नौ लोक सेवा वाहनों के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा न तो कर का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप 3.04 लाख रूपये के कर का अनारोपण/वसूली नहीं हुई, इसके अतिरिक्त , 5.67 लाख रूपये की आरोपणीय शास्ति भी आरोपित नहीं की गई ।

इसे लेखापरीक्षा मेंइंगित किए जाने के बाद , अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सितम्बर 2003 में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा । की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में सूचित नहीं किया गया था (मई 2005) ।

प्रकरण नवम्बर तथा दिसम्बर 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

4.7 शुल्क आरोपण के बगैर वाहनों को आरक्षित पंजीकरण नम्बर आवंटित किए जाने के कारण राजस्व की हानि

फरवरी 2001 में जारी अधिसूचना , जिसे मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम , 1994 में सम्मिलित किया गया था , के अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्कों का भुगतान किए जाने पर ही किसी वाहन को किसी प्रचालित श्रेणी की आरक्षित पंजीकरण नम्बर आवंटित करेगा ।

फरवरी 2004 में जिला परिवहन कार्यालय दतिया के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि फरवरी तथा दिसम्बर 2001 के मध्य पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा नियम में विनिर्दिष्ट शुल्कों की वाहन स्वामियों से वसूली किए बगैर 71 वाहनों को राज्य शासन द्वारा आरक्षित पंजीकरण नम्बर का आवंटन किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 8.65 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसें लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , जिला परिवहन अधिकारी दतिया ने बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद वाहन स्वामियों को मांग नोटिस जारी किए जाएंगे । की गई कार्यवाही की आगामी प्रगति के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया (मई 2005) ।

प्रकरण मार्च तथा अप्रेल 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

4.8 संविदा वाहन को अनियमित रूप से अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के कारण राजस्व की हानि

मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , " संविदा वाहन " से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिए नियत या तय हुई दर या धनराशि पर किसी अभिव्यक्त या निहित संविदा के अधीन उसमें वर्णित यात्रियों के वहन में लगा है , जबकि " निजी सेवा यान " से तात्पर्य ऐसे मोटर यान से है जो वाहन स्वामी द्वारा या उसकी तरफ से मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर भाड़े या पारिश्रमिक की बजाय , सामान्यतः यात्रियों को ले जाने या व्यापार या धंधे से

संबंधित कार्यों के उपयोग में लाया जाता है। निजी सेवा यानों की तुलना में संविदा वाहन पर कर की दर अधिक है ।

अप्रैल 2003 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि अगस्त 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य कराधान प्राधिकारी द्वारा 4 लोक सेवा वाहनों के स्वामियों को त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से संविदा वाहन अनुज्ञापत्रों के बजाय निजी सेवा वाहन अनुज्ञापत्र जारी किए गए । इसके परिणामस्वरूप वाहन कर के रूप में 7.90 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा ने अप्रैल 2003 में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा । की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में सूचित नहीं किया गया था (मई 2005)।

प्रकरण अगस्त तथा दिसम्बर 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

अध्याय – 5

भू – राजस्व

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान भू–राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 1,34,329 प्रकरणों में राशि 295.14 करोड़ रूपये के राजस्व के अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा मांग सृजित न करने सम्बंधी प्रकरण प्रकाश में आए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्व राजस्व संग्रहण में विलम्ब	15,148	73.49
2	नजूल भूमि पर नजूल किराया , प्रव्याजि तथा भू भाटक का अनिर्धारण/अवनिर्धारण	3,792	99.88
3	व्यपवर्तन लगान व प्रत्याजि का अनिर्धारण/कम निर्धारण तथा पुनरीक्षण न होना	6,018	6.33
4	पंचायत उपकर का अनारोपण तथा अर्थदण्ड व शास्तियों की वसूली न होना	75,023	19.53
5	अन्य	34,348	95.91
	योग	*1,34,329*	*295.14*

वर्ष 2003–2004 के दौरान विभाग द्वारा 48555 प्रकरणों में 80.48 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा जिनमें रू. 97 लाख रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है :–

5.2 प्रक्रिया व्यय का अनारोपण

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता , 1959 एवं मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 एवं नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों (आर.आर.सी.) के प्राप्त होने पर राजस्व न्यायालय का वसूली अधिकारी प्रकरण को पंजीबद्ध करेगा और मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा । मध्य प्रदेश लोकधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता पर बकाया मूल राशि का 3 प्रतिशत प्रक्रिया व्यय के रूप में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों पर की जाने वाली मांग में सम्मिलित किया जावेगा ।

- दिसम्बर 2002 और अगस्त 2003 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि पांच तहसीलों[1] में राशि रूपये 2.66 करोड़ के 286 आर.आर.सी. प्रकरण अवधि 1998–99 से 2001–2002 के मध्य प्राप्त हुये थे, जिन्हें राजस्व न्यायालयों में पंजीबद्ध नहीं किया गया था जिसके कारण वसूली की प्रक्रिया दो से चार वर्षो तक प्रारम्भ नहीं हुयी थी । इसके परिणामस्वरूप 7.98 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने के बाद संबंधित तहसीलदारों द्वारा दिसम्बर 2002 एवं अगस्त 2003 के मध्य बताया कि पंजीयन एवं वसूली बावत् कार्यवाही की जावेगी । आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मई 2005) ।

प्रकरण (अप्रेल एवं सितम्बर 2003 के मध्य) शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2005) ।

- इसी प्रकार तहसील मैहर (सतना) तहसील (दिसम्बर 2003) में 33 प्रकरणों में, अक्टूबर 99 तथा जनवरी 2003 के मध्य मूल राशि रूपये 4.29 करोड़ की मांग में प्रक्रिया व्यय की राशि 12.88 लाख रूपये सम्मिलित नहीं की गयी थी । फलस्वरूप प्रक्रिया व्यय की राशि 12.88 लाख रूपये बिना वसूली के रही ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार ने बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद प्रक्रिया व्यय की वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2005) ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2004), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

1 तहसील देओसर (सीधी) , महीदपुर (उज्जैन) , नौगांव (छतरपुर) , पिछोर (शिवपुरी) , तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर)

5.3 वसूली प्रभार की वसूली न होना

पंचायत राज अधिनियम , 1993 एवं इसके अधीन शासन द्वारा जारी निर्देशों (जून 1999) के अनुसार भू–राजस्व , उपकर, फीस तथा अन्य कर के रूप में शासन द्वारा वसूल की गयी राशि का 10 प्रतिशत वसूली प्रभार के रूप में काटने के पश्चात ' पंचायत राज निधि ' में जमा किया जावेगा ।

10 तहसीलों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में दिसम्बर 2000 तथा दिसम्बर 2003 की अवधि के मध्य पता चला कि अक्टूबर 1999 से सितम्बर 2003 की अवधि के मध्य वसूल किये गए राजस्व तीन करोड़ रूपये को तहसीलदार द्वारा वसूली व्यय की राशि 30 लाख रूपये का कटौत्रा किये बिना पंचायत राज निधि में जमा किया गया । इसके परिणामस्वरूप उक्त शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद , संबंधित तहसीलदारों द्वारा दिसम्बर 2000 से दिसम्बर 2003 के मध्य बताया कि कटौत्रा संबंधी आदेश तहसील कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुये थे तथा जिला कार्यालय से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात कार्यवाई की जावेगी ।

प्रकरण अप्रैल 2003 से फरवरी 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

5.4 अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होना

मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग–II तथा शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 2 अगस्त 1994 में पट्टाधारी से पुनरीक्षित प्रव्याजि व भू भाटक की वसूली के पश्चात अस्थायी पट्टा के नवीनीकरण का प्रावधान है । कोई चूक होने की स्थिति में , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रति प्रकरण 1.500 रूपये से अनधिक राशि दण्ड एवं शास्ति के रूप में आरोपणीय होगी ।

सितम्बर 2003 में जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 1997 तथा अप्रैल 1999 के मध्य भूमि के दो अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण नहीं हुआ था । एक प्रकरण में पट्टाधारी द्वारा अक्टूबर 2002 में नवीनीकृत हेतु आवेदित किया था तथा दूसरे प्रकरण में पट्टाधारी द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदित नहीं किया था , परन्तु भूमि अनधिकृत रूप से लगातार आधिपत्य में रही। पट्टाधारी से पुनरीक्षित प्रव्याजि एवं भू भाटक का निर्धारण एवं वसूली भी नहीं की गई थी , यद्यपि

[2] डिंडोरी (मंडला), महीदपुर (उज्जैन), मंडला, नटेरन (विदिशा), निवास, रतलाम, सरदारपुर (धार), सिवनी, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर) एवं विदिशा ।

भूमि लगातार उनके अधिपत्य में थी । इसके परिणाम स्वरूप शास्ति सहित प्रव्याजि की राशि 23.32 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी ।

सितम्बर 2003 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद जिलाध्यक्ष (नजूल) द्वारा बताया गया कि प्रकरणों का परीक्षण कर कार्यवाई की जावेगी । की गई कार्यवाई पर आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (मई 2005) ।

मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक भाग –II के अनुसार उप संभागीय अधिकारी (राजस्व) कृषि से भिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई व्यपवर्तित भूमि पर पुनर्निधारित भू भाटक की मांग तथा परिवर्तन को तहसील के अभिलेखों में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार को सूचित करेगा । इसके अतिरिक्त भू–राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित की गई व्यपवर्तन लगान प्रत्याजि तथा अर्थदण्ड की मांग का उल्लेख वसूली करने के पूर्व तहसील की मांग तथा संग्रहण पंजी में दर्ज किया जाना है ।

प्रकरण शासन को (नवम्बर 2003) प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2005) ।

5.5 व्यपवर्तन लगान एवं प्रव्याजि की मांग सृजित न करना ।

मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग–II के अनुसार , उप संभागीय अधिकारी (राजस्व) कृषि से भिन्न उद्धेश्यों हेतु उपयोग की गई व्यपवर्तित भूमि पर पुनर्निधारित भू–भाटक की मांग तथा परिवर्तन को तहसील के अभिलेखों में समाविष्ट करने हेतु संबंधित तहसीलदार को सूचित करेगा। इसके पश्चात व्यपवर्तन लगान, प्रव्याजि एवं भू राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत आरोपित किये गए अर्थदण्ड की मांग का उल्लेख भी वसूली करने के पूर्व तहसील को मांग तथा संग्रहण पंजी में दर्ज किया जाना है ।

फरवरी 2003 तथा जनवरी 2004 के मध्य दो तहसीलों [3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 15 गांव के 2000–2001 से 2002–2003 तक की अवधि से संबंधित व्यपवर्तन लगान प्रव्याजि अर्थदण्ड भी सम्मिलित था ,राशि रूपये 22.36 लाख रूपये को तहसील की मांग एवं वसूली पंजी में दर्ज नहीं किया गया था जबकि प्रारूप वी–1 में वसूली पत्रक तहसील कार्यालय में 30 जुलाई 2001 तथा 10 अप्रैल 2002 को प्राप्त हो गया था । इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड की राशि 0.02 लाख रूपये सहित 22.36 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

3 छतरपुर एवं राजनगर (छतरपुर)

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद संबंधित तहसीलदारों द्वारा फरवरी 2003 और जनवरी 2004 के मध्य बताया कि मांग सृजित करने की कार्यवाही की जायेगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2005) ।

प्रकरण शासन को मई 2003 और मार्च 2004 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

अध्याय – 6

अन्य कर प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस एवं मनोरंजन शुल्क से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2003–2004 के दौरान की गयी नमूना जॉच में 13,580 प्रकरणों में 20.09 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व का अनिर्धारण, अवनिर्धारण तथा अन्य हानियां प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
1	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	3,488	9.32
2	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	1,812	1.65
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान में गलत छूट	600	1.83
4	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण हानि	93	0.45
5	अन्य अनियमितताऐं	846	6.29
	योग	*6,839*	*19.54*
	मनोरंजन शुल्क		
1	वी.सी.आर. तथा वी.सी.पी. (वीडिओ कैसेट प्लेयर) के स्वामियों द्वारा मनोरंजन शुल्क कम जमा किया जाना/जमा न किया जाना	30	0.01
2	केबल संचालकों से प्रतिभूति जमा/मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	6,314	0.29
3	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	139	0.13
4	अन्य	258	0.12
	योग	*6,741*	*0.55*
	कुल योग	13,580	20.09

विभागों द्वारा 9916 प्रकरणों में अंतर्निहित 9.70 करोड़ रूपये शुल्क का अवमूल्यांकन तथा हानियों को स्वीकार किया गया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों , जिनमें 1.99 करोड़ रूपये की राशि अंतनिर्हित है , की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

6.2 मुद्रांकों की बिक्री एवं खरीद

6.2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अंतर्गत सूची 1 की प्रविष्टि 91 में उल्लिखित विलेखों पर शुल्क यद्यपि भारत सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं , लेकिन उनका संग्रहण एवं प्रतिधारण उस राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें शुल्क आरोपणीय है । मध्य प्रदेश (म.प्र.) में गैर–न्यायिक मुद्रांकों से प्राप्तियां तथा उनका विक्रय भारतीय मुद्रांक अधिनियम , 1899 , म.प्र. मुद्रांक नियम , 1942 , मुद्रांकों की आपूर्ति एवं वितरण संबंधी संशोधित नियम , 1981 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अधीन विनियमित किया जाता है ।

कोषालयों तथा उपकोषालयों को मुद्रांकों की आपूर्ति केन्द्रीय मुद्रांक भंडार (सी.एस.डी.) नासिक तथा हैदराबाद द्वारा की जाती है । मुद्रांकों की आपूर्ति हेतु 12[1] जिला कोषालयों पर समन्वय बिन्दुओं (नोडल पोइन्ट्स) की स्थापना की गई है । मुद्रांकों की आपूर्ति समन्वय बिन्दुओं के माध्यम से सीधे कोषालयों / उपकोषालयों को की जाती है । कोषालय तथा उपकोषालय द्वारा मुद्रांकों की बिक्री आम जनता तथा अनुज्ञप्ति धारक मुद्रांक विक्रेताओं (विक्रेता) को की जाती है । अनुज्ञप्ति धारक मुद्रांक विक्रेता अपनी अनुज्ञप्तियों में उल्लिखित स्थानों पर जनता को मुद्रांकों की बिक्री करते हैं । वित्त विभाग ने अगस्त1991में 500 रूपये या अधिक मूल्य के न्यायिक/गैर न्यायिक मुद्रांकों के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर सहित उप कोषालय/कोषालय की सील लगाने के लिए अनुदेश जारी किए थे ।

1 भोपाल , जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सागर तथा उज्जैन

6.2.2 आपूर्ति

अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 12 कोषालयों [2] में 1999–2000 से 2002–2003 के दौरान 50.20 करोड़ रूपये मूल्य के मुद्रांक बिना मांग के / मांग से अधिक प्राप्त किए गए ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के बाद , कोषालय अधिकारी , भोपाल ने बताया कि बिना मांग के प्राप्त 1.89 करोड़ रूपये के मुद्रांकों को मार्च 2002 में पंजीयन–महानिरीक्षक के ध्यान में लाया गया था। कोषालय अधिकारी शाजापुर ने बताया कि चूंकि 5.90 करोड़ रूपये मूल्य के मुद्रांकों की आपूर्ति मांग से अधिक की गई थी इसके लिए कोषालय अधिकारी उत्तरदायी नहीं था । अन्य प्रकरणों में विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2005) ।

6.2.3 कम आपूर्ति

4 कोषालयों [3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1998–99 से 2003–04 के दौरान केन्द्रीय मुद्रांक भण्डार से बीजक में उल्लिखित मूल्य से 67.55 लाख रूपये मूल्य के कम मुद्रांक प्राप्त किए गए थे । इंदौर , रायसेन , सीहोर तथा विदिशा के कोषालय अधिकारियों द्वारा 17.56 लाख रूपये के मुद्रांकों की कम प्राप्ति को केन्द्रीय मुद्रांक भण्डार नासिक को सूचित किया गया था । कोषालय अधिकारियों द्वारा कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई थी ।

6.2.4 मुद्रांकों की बिक्री

अनुज्ञप्ति धारक विक्रेताओं द्वारा लेखांकन

मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम, 1942 के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक), मुद्रांक विक्रेताओं को एक वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति में उल्लिखित स्थानों पर न्यायिक तथा गैर न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा ।

- अप्रैल 2004 में हरदा कोषालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक मुद्रांक विक्रेता अनुज्ञप्ति में इंगित स्थान से भिन्न स्थानों पर मुद्रांक की बिक्री कर रहा था । मई 2001 में कलेक्टर

2 भोपाल, देवास, गुना, खण्डवा, मंडला, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर, शाजापुर, शिवपुरी तथा विदिशा

3 इंदौर (9.75 लाख रूपये), रायसेन (7.80 लाख रूपये), सागर (1 लाख रूपये) तथा शाजापुर (49 लाख रू.)

ने कोषालय अधिकारी को आगामी आदेश तक उक्त मुद्रांक विक्रेता को मुद्रांक जारी न करने के आदेश दिए थे । अवधि मई 2001 से मार्च 2002 के दौरान , कोषालय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त मुद्रांक विक्रेता को 21.41 लाख रूपये के गैर न्यायिक मुद्रांकों की आपूर्ति की गई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के बाद , कोषालय अधिकारी ने जून 2004 में बताया कि मुद्रांक विक्रेता को जिला कलेक्टर , हरदा के मौखिक आदेश पर 21.41 लाख रूपये के मुद्रांकों का विक्रय किया गया था ।

- उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सितम्बर 2000 में 5 जिलों में [4] विभिन्न बैंकों , बीमा कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा 3 अनधिकृत मुद्रांक विक्रेताओं [5] से 45.86 लाख रूपये के संजनशील (एडहिसिव) मुद्रांकों/जाली संजनशील मुद्रांकों की खरीद की गई । इनमें से 2.76 लाख रूपये के जाली संजनशील मुद्रांक उप पंजीयक , इंदौर द्वारा जब्त कर लिए गए । इन जाली मुद्रांकों के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) इन्दौर तथा सतना में क्रमशः सितम्बर 2000 तथा जनवरी 2004 में दर्ज कराई गई । देवास में खरीदे गए जाली मुद्रांकों से संबंधित प्रकरण उप पंजीयक, इंदौर द्वारा देवास के पुलिस विभाग को संसूचित किया गया लेकिन उनके द्वारा पुलिस प्रकरण दर्ज करने की पुष्टि नहीं की गई थी ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , पंजीयन–महानिरीक्षक (आई.जी.आर.) ने अप्रैल 2004 में बताया कि जाली मुद्रांकों का उपयोग कल्पनातीत था । अतः मुद्रांक के क्रय स्रोत की जांच हेतु प्रावधान नहीं बनाया गया था ।

इससे पता चलता है कि प्रयोग किए जाने वाले मुद्रांकों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण हेतु मानकों को निर्धारित करने तथा निरीक्षकों को प्राधिकृत करने की भी आवश्यकता है।

- मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम , 1942 के प्रावधानों के अनुसार , अधिनियम /नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति द्वारा मुद्रांकों की बिक्री प्रतिबंधित है । संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत , बीमा विलेखों पर शुल्क यद्यपि भारत सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है लेकिन उसका संग्रहण एवं प्रतिधारण उस राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें ऐसा शुल्क आरोपणीय है। पंजीयन महानिरीक्षक ने भी नवम्बर 2000 में राज्य की बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों को अन्य राज्यों से मुद्रांक क्रय न करने के अनुदेश जारी किए थे ।

4 भोपाल 2.39 लाख रूपये , देवास 1.40 लाख रूपये , हरदा 0.40 लाख रूपये , इंदौर 37.05 लाख रूपये तथा सतना 4.62 लाख रूपये

5 म.प्र. एंटर प्राइजिज भोपाल 2.59 लाख रूपये
मालवा एंटर प्राइजिज इन्दौर 39.85 लाख रूपये
ज्योति कुमार सेठे, पुणे 3.42 लाख रूपये

भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त जानकारी की जांच भोपाल , ग्वालियर तथा जबलपुर के तीन जिला कोषालय कार्यालयों के अभिलेखों से करने पर पता चला कि 1998–99 से 2000–01 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के 6 मंडलीय कार्यालयों द्वारा जमशेदपुर (झारखंड) तथा पुणे (महाराष्ट्र) के तीन मुद्रांक विक्रेताओं से 2.79 करोड़ रूपये मूल्य के बीमा मुद्रांक खरीदे गये लेकिन उक्त विक्रेताओं के पक्ष में न तो अनुज्ञप्ति संख्या और न ही अनुज्ञप्ति की प्रति प्रस्तुत की गई । इस प्रकार लेखापरीक्षा में मुद्रांक विक्रेताओं की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया तथा कलेक्टर (मुद्रांक) , शहडोल ने तथ्यों की पुष्टि की । भारतीय मुद्रांक अधिनियम , 1899 के प्रावधानों के अनुरूप विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2005) ।

6.2.5 मुद्रांक विक्रेता के लेखा का निरीक्षण

मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम,1942 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक मुद्रांक विक्रेता की विक्रय पंजी, दैनिक लेनदेन, उसकी अनुज्ञप्ति की जांच तथा उनके अधिपत्य के मुद्रांकों के स्टॉक का, किसी भी समय, जिला पंजीयक या उप पंजीयक या कोई भी राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से कम न हो या अन्य किसी कर्मचारी द्वारा , जो कलेक्टर या राज्य शासन द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो, निरीक्षण किया जा सकेगा ।

यह देखा गया कि अवधि 1993–94 से 2002–03 के दौरान 11 जिलों[6] में 4306 मुद्रांक विक्रताओं में से 3185 मुद्रांक विक्रेताओं की पंजियों का निरीक्षण नहीं किया गया । इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, पंजीयन महानिरीक्षक ने बतया (दिसम्बर 2004) कि अमले की कमी के कारण सभी मुद्रांक विक्रेताओं की पंजियों का निरीक्षण संभव नहीं है ।

प्रकरण नवम्बर 2004 में शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था, उनका अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2005) ।

6 बैतूल , छतरपुर , देवास , गुना , इंदौर , मण्डला ,पन्ना , राजगढ़ , सिवनी , सीधी तथा शहडोल

6.3 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासन की अधिसूचनाओं (सितम्बर 1989) के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के संबंध में उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विलेखों के पंजीयन दिनांक से एक माह के भीतर शासन को की जानी थी ।

उप पंजीयक कार्यालयों , बढ़वाह (खरगोन) तथा खातेगांव (देवास) के अभिलेखों की जून 2003 में नमूना जांच में पता चला कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में वर्ष 2002–03 के दौरान 52 विक्रय विलेख निष्पादित किये गए । 14.55 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति यद्यपि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को की जाना थी, किन्तु नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप शासन को प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , पंजीयन महानिरीक्षक ने सितम्बर 2004 में बताया कि मार्च तथा अप्रैल 2004 में 33 प्रकरणों में 9.15 लाख रूपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई । सितम्बर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया । की गई अंतिम कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया था (मई 2005) ।

6.4 सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा / के पक्ष में निष्पादित विलेखों द्वारा राजस्व की हानि

शासन की दिनांक अक्टूबर 1980 को जारी अधिसूचना के अनुसार, गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों (समितियों) के पक्ष में निष्पादित विलेखों को मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया था । विभाग ने अगस्त 2001 में ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे जिनमें समितियों को हस्तांतरण विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया था लेकिन बाद में भूमि का उपयोग समिति के सदस्यों के गृह निर्माण के बजाय किसी अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया था । ऐसे प्रकरणों में क्रय की गई भूमि के समय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान में दी गई छूट की वसूली की जाना थी ।

यह पाया गया कि तीन उप–पंजीयकों [7] ने अक्टूबर 2001 तथा फरवरी 2003 के मध्य भूमि से संबंधित छः विक्रय विलेखों का हस्तांतरण गृह निर्माण हेतु किया जाकर 8.90 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट दी गई । अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि उक्त भूमि या तो

7 ग्वालियर , इन्दौर, जबलपुर

समितियों द्वारा बेच दी गई अथवा उसका उपयोग गृह निर्माण से भिन्न कार्य के लिए किया गया । परिणामस्वरूप मुक्त की गई मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस समितियों से वसूली योग्य थी । किन्तु इसे वसूली करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई परिणामस्वरूप शासन को राजस्व के रूप में 8.90 लाख रूपये की हानि हुई ।

इसे इंगित किये जाने के बाद उप पंजीयक ग्वालियर एवं इन्दौर ने अगस्त 2003 एवं जनवरी 2004 में बताया कि प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के पास भेजे जावेंगे । उप पंजीयक जबलपुर से अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2005) ।

6.5 सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार, किसी सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख में आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण के लिए सम्पत्ति के बाजार मूल्य को विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासन ने म.प्र. सलेखों सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन निवारण हेतु नियमावली, 1975 में एक संशोधन कर (दिसम्बर 1993) यह अनिवार्य कर दिया कि यदि विलेख में दर्शाया गया मूल्य जिला कलेक्टरों द्वारा जारी न्यूनतम मूल्यों के वार्षिक विवरण पत्रकों से कम पाया जाता है तो उप–पंजीयक, पंजीयन के पश्चात, बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु प्रकरणों को कलेक्टर (मुद्रांक) के पास भेजेगा । शासन ने पुनः अधिनियम में संशोधन किया (मार्च 2000) तथा इसके तहत 1 अगस्त 2000 से बाजार मूल्य गाइडलाइन नियमावली को लागू किया गया । तद्नुसार प्रलेख के पंजीयन के पूर्व, बाजार मूल्य से कम मूल्य के प्रकरणों को कलेक्टर के पास भेजने के लिए उप–पंजीयक को उत्तरदायी बनाया गया ।

- उप–पंजीयक कार्यालय गोटेगांव (नरसिंहपुर) तथा इंदौर के अभिलेखों की फरवरी 2003 तथा जनवरी 2004 के मध्य की गई नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2000 तथा मार्च 2003 के मध्य पंजीकृत किए गए 7 विलेखों में , गाइड लाइन्स के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य 1.91 करोड़ रूपये था जबकि प्रकरणों को 1.44 करोड़ रूपये के लिए पंजीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 47 लाख रूपये का अवमूल्यांकन हुआ जिसमें 5.03 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस अंतर्निहित थी । उप–पंजीयक ने सम्पत्तियों के सही मूल्य निर्धारण हेतु तथा उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु इन विलेखों को संबंधित कलेक्टर को नहीं भेजा जिसके परिणामस्वरूप उतनी राशि की कम वसूली हुई ।

इसे इंगित किए जाने के बाद , विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि सभी सातों प्रकरण मार्च 2003 तथा वर्ष 2003–04 के दौरान संबंधित कलेक्टरों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु पंजीकृत किए जा चुके हैं ।

- सात उप–पंजीयक कार्यालयों [8] के अभिलेखों की में अप्रैल तथा दिसम्बर 2003 के मध्य नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 1999 तथा जनवरी 2003 के मध्य, सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु कलेक्टर को प्रेषित किए गए 450 विलेखों का निराकरण नहीं किया गया था । पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य पर आधारित इन विलेखों पर वसूली योग्य मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के कुल अंतर की राशि 1.58 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, संबंधित उप–पंजीयकों ने अप्रैल तथा दिसम्बर 2003 के मध्य बताया कि प्रकरण कलेक्टर के पास लंबित थे तथा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कलेक्टर से अनुरोध किया जाएगा ।

शासन ने, जिसे अगस्त 2003 से अप्रैल 2004 के मध्य प्रकरण प्रतिवेदित किया गया, पंजीयन–महानिरीक्षक के उत्तर को जुलाई 2004 में पृष्ठांकित किया जिसमें यह कहा गया था कि कलेक्टर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण करने का प्रयास करता है लेकिन सम्मन तामील न होने के परिणाम स्वरूप विलंब होता है । यह भी बताया गया कि अवधि जुलाई से सितम्बर 2004 के दौरान विशेष अभियान चलाया जाएगा ।

मनोरंजन शुल्क

6.6 सिनेमा घरों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (संशोधित अप्रैल 1999) में प्रावधान है कि सिनेमा हाल में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर द्वारा यथा अवधारित राशि पर जो प्रति टिकिट एक रूपया से अधिक न हो शुल्क आरोपित नहीं किया जायगा । अगर कलेक्टर उपलब्ध करायी गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाओं के लिए मान्य की गयी राशि पर शुल्क वसूल कर सकेगा ।

दो कार्यालयों [9] के अभिलेखों की मई और सितम्बर 2003 के मध्य की गई नमूना जांच में पाया गया कि 21 सिनेमा घर मालिकों ने कलेक्टर से अवधारित कराये बिना अप्रैल 2002 से अप्रैल 2003 तक के मध्य सिनेमा हाल में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु टिकिट विक्रय से 11.40 लाख रूपये एकत्रित किये गए। मालिकों द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट के लिए न तो कलेक्टर को दावा प्रस्तुत किया गया और न ही कलेक्टर ने शुल्क के भुगतान से छूट के लिए कोई राशि निश्चित

8 उप पंजीयक बढ़वाह (खरगोन) , जबलपुर , मुरैना , नलखेड़ा (शाजापुर) , रीवा , श्योपुरकला (श्योपुर) तथा तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर)

9 जिला आबकारी अधिकारी (मनोरंजन) शिवपुरी तथा सहायक आयुक्त आवकारी (मनोरंजन) उज्जैन ।

की। इस प्रकार मालिकों द्वारा एकत्रित सम्पूर्ण राशि पर अवअवधारणीय मनोरंजन शुल्क का अवधारण नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 5.13 लाख रूपये मनोरंजन शुल्क का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद आबकारी अधिकारियों ने मई तथा सितम्बर 2003 के मध्य बताया कि कलेक्टर द्वारा सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये वसूली योग्य राशि के अवधारण के पश्चात कार्यवाही की जावेगी ।

प्रकरण अगस्त 2003 और मार्च 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

6.7 मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना ।

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार केवल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला केवल टेलीविजन नेटवक्र का प्रत्येक मालिक विहित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा ।

चार जिला कार्यालयों [10] के अभिलेखों की मई 2003 और फरवरी 2004 के मध्य की गई नमूना जांच में पाया गया कि 193 केबिल आपरेटरों से अप्रैल 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि के दौरान 7.76 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही वसूली की गई । इसके परिणामस्वरूप 7.76 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद सभी जिला आबकारी अधिकारियों ने मई 2003 और फरवरी 2004 के मध्य बताया कि प्रकरणों की छानवीन उपरान्त वसूली की कार्यवाही की जावेगी । जिला आवकारी अधिकारी बड़वानी ने सूचित किया (जून 2004) कि रूपये 1.12 लाख की वसूली करली गई है ।

प्रकरण शासन को अगस्त 2003 और मार्च 2004 के मध्य प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

10 बड़वानी , खण्डवा , शाजापुर और उज्जैन ।

अध्याय – 7 :

वन प्राप्तियाँ

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 161 प्रकरणों में 168.65 करोड़ रूपये की राजस्व हानि का पता चला , जिसे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किये जाने के कारण हानि	30	90.44
2	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण हानि	11	4.84
3	वनोपज के ह्रास/कमी से हानि	37	10.93
4	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण राजस्व हानि	03	0.58
5	वनोपज का लेखांकन न करने से हानि	10	5.49
6	इमारती लकड़ी/बांस के अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन के कारण हानि	12	11.41
7	अन्य	58	44.96
	योग	*161*	*168.65*

इसमें से वर्ष 2003–04 के 18 प्रकरणों में अंतर्निहित 12 लाख रूपये की हानि को विभाग ने स्वीकार किया ।

कुल उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा , जिनमें 0.79 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है ।

7.2 वनोपज के निवर्तन की प्रणाली में विफलता के कारण राजस्व की हानि

वन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार , अवरोध मूल्य के निर्धारण के बाद वनोपज का निवर्तन सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा । यदि प्राप्त विक्रय मूल्य अवरोध मूल्य के बराबर नहीं है तो वनोपज के निवर्तन के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाऐंगी ।

फरवरी 2004 में मंडलीय वन कार्यालय (सामान्य) गुना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सितम्बर 2002 में 230 ढेरों में रखे गए 40,465 खैर के वृक्षों को उनके 75.99 लाख रूपये के अवरोध मूल्य के विरूद्व 7.72 लाख रूपये में नीलामी द्वारा विक्रय किए जाने के परिणमस्वरूप शासन को 68.27 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई । इन ढेरों का विक्रय मूल्य अवरोध मूल्य से 87 से 91 प्रतिशत तक कम रहा ।

फरवरी 2004 में इसे इंगित किए जाने के बाद , वन मंडल अधिकारी ने बताया कि जनवरी 1999 तथा मार्च 2002 के मध्य , वनोपजों को पांच से तीस बार तक नीलामी में रखे जाने के बाद भी उसमें कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि विकल्प के रूप में जैम बिअर तथा संश्लेषित कत्था बाजार में उपलब्ध होने के कारण खैर वृक्षों की मांग कम हुई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नीलामी में कम मूल्य प्राप्त होने की स्थिति में , सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कर वृक्षों के निवर्तन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे जिससे अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके , लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

प्रकरण जून 2004 में शासन को प्रतिवेदित किया गया , उत्तर में यह बताया (अगस्त 2004) कि प्रत्येक ढेर के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करना व्यवहारिक नहीं है तद्नुसार वन नियमावली में संशोधन विचाराधीन है ।

7.3 बांस कूपों में पातन कार्य न किया जाना

विभागीय अनुदेशों (अक्टूबर 1975) के अनुसार पातन के लिए नियत सभी बांस कूपों का निरपवाद रूप से पातन कार्य किया जाना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कूप में पातन कार्य न होने की स्थिति में वन संरक्षक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए । मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने अगस्त 2000 में इन अनुदेशों को दोहराते हुए बताया कि बांस कूपों का पातन चक्र चार वर्ष का है । चार वर्षो के बाद बांस कूपों का पातन कार्य न किए जाने पर इसकी फसल/उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

अप्रैल 2002 तथा अगस्त 2003 के मध्य मंडलीय वन कार्यालय (सामान्य) बुरहानपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान पातन के लिए नियत 10 बांस कूपें (क्षेत्रफल 6122.900 हैक्टेयर) का पातन कार्य नहीं किया गया ।

अप्रैल 2002 तथा अगस्त 2003 के मध्य इसे इंगित किए जाने के बाद , शासन ने अगस्त 2004 में बताया कि मंडल की कार्य योजना की अवधि दिसम्बर 2000 में समाप्त हुई थी । दिसम्बर 2005 तक की अवधि के लिए कार्य योजना के विस्तार को अक्टूबर 2000 में राज्य शासन द्वारा अनुमोदित कर अक्टूबर 2000 में ही केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था जो प्रतीक्षित है । इसलिए इन कूपों में पातन कार्य नहीं किया गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा 1999 में जारी अनुदेशों में कहा गया था कि भविष्य में किसी भी अवधि विस्तार की अनुमति वर्तमान कार्य योजना के लिए नहीं दी जावेगी तथा संशोधित कार्य योजना का शीघ्र प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए । अतः कार्ययोजना का अवधि विस्तार हेतु प्रस्तावित किया जाना स्वयं में ही जारी अनुदेशों के विपरीत था । राज्य शासन को योजना निर्धारित समयावधि में इस प्रकार तैयार करना थी जिससे बांसों के किसी भी क्षेत्र का पातन कार्य न छूटे ।

7.4 वाणिज्यिक कर राजस्व का अनियमित प्रतिधारण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 के प्रावधानों के अनुसार , प्रत्येक व्यापारी को देय कर का भुगतान करना होगा, जिसमें चूक होने पर इस प्रकार देय कर के दिनांक से भुगतान के दिनांक या निर्धारण आदेश के दिनांक तक , जो भी पहले हो, दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज आरोपित किया जाएगा । ब्याज/शास्ति के दायित्व से बचने की दृष्टि से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने अनुदेश जारी किए थे (जनवरी 2003) कि किसी माह के दौरान संग्रहित किए गए वाणिज्यिक कर की राशि आगामी माह के 30 दिनों के अंदर वाणिज्यिक कर प्राप्ति शीर्ष में जमा की जानी चाहिए ।

जनवरी 2004 में वनमंडल कार्यालय (सामान्य) सतना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि अप्रैल 1999 से नवम्बर 2003 के दौरान वनोपज की बिक्री से संग्रहित वाणिज्यिक कर की 21.18 लाख रूपये की राशि जमा नहीं कराई गई जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक कर के राजस्व का अनधिकृत प्रतिधारण हुआ । इसके अतिरिक्त , वाणिज्यिक कर जमा न किए जाने के कारण, मार्च 2004 तक ब्याज की देयता 10.42 लाख रूपये आंकलित की गई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, वन मंडल अधिकारी ने जनवरी 2004 में बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण के पश्चात देय वाणिज्यिक कर जमा किया जाएगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक कर के रूप में संग्रहित राजस्व निर्धारित समयावधि में कोषालय में जमा कराया जाना चाहिए था ।

प्रकरण मार्च तथा मई 2004 में शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

अध्याय – 8

खनन प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 58.49 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होना तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के अनारोपण आदि से संबंधित 1,015 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयेमें)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1.	खनिज क्षेत्र विकास उपकर एवं राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध राजस्व वसूली न करना/कम करना	507	1.79
2.	राज्यांश एवं अनिवार्य किराए का अनिर्धारण	65	2.20
3.	राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/ कम अनारोपण	67	9.51
4.	गौण खनिजों पर राज्यांश एवं शास्ति का अनारोपण तथा संविदा राशि, मुंद्राकं शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	59	26.12
5.	अन्य	317	18.87
	योग	*1015*	*58.49*

वर्ष 2003–2004 के दौरान विभाग द्वारा 1,015 प्रकरणों में अंतर्निहित 58.49 करोड़ रूपये राशि का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों , जिनमें 19.76 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है , की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

8.2 कोयला का कम स्टॉक दर्शाये जाने के कारण राज्यांश का अपवंचन

खनिज रियायत नियमावली, 1960 में प्रावधान है कि पट्टेदार द्वारा खदान से प्राप्त तथा भेजे गए सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण दर्शाने वाले यथार्थ लेखों का संधारण किया जाएगा ।

खनन कार्यालय , शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि तीन पट्टेदारों ने अप्रैल 2001 से मार्च 2003 के दौरान राज्यांश से संबंधित मासिक विवरणियां प्रस्तुत की थी । विवरणियों का निरीक्षण करने पर पता चला कि पट्टेदारों ने निष्कासित किए गये कोयले का प्रारंभिक शेष तथा अंतिम शेष गलत दर्शाकर 6.03 लाख टन कोयले का कम स्टॉक दर्शाया था जिसके परिणामस्वरूप 6.03 लाख टन कोयला का कम स्टॉक दर्शाने से 6.36 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश का अपवंचन हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*इकाई का नाम अवधि*	*अंतिम स्टॉक जो होना चाहिए (लाख टन में)*	*विवरणी में दर्शाया गया अंतिम स्टॉक (लाख टन में)*	*स्टॉक में अंतर (लाख टन में)*	*अंतर्निहित राज्यांश*
1.	जमुना यू.जी. कोटमा (2001–02)	25.75	22.86	2.89[1]	2.75
2.	जमुना यू.जी. तथा कोटमा पश्चिम (3487.84 एकड़) (2002–2003)	4.77	2.97	1.80[2]	2.07
3.	भद्रा (3467.84) (2002–2003)	1.77	0.43	1.34	1.54
	महायोग	***32.29***	***26.26***	***6.03***	***6.36***

इस प्रकार मासिक विवरणियों का सत्यापन न किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त राशि के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई ।

इसे इंगित किए जाने के बाद , विभाग ने बताया कि तथ्यों के सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

1 क्रम संख्या 1 के लिए राज्यांश की दरें 95 रूपये प्रति टन

2 क्रेम संख्या 2,3 के लिए राज्यांश की दरें 115 रूपये प्रति टन

8.3 राज्यांश की कम वसूली

खनिज रियायत नियमावली , 1960 में प्रावधान है कि खनन पट्टाधारक उसके या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप पट्टाधारक द्वारा क्षेत्र से निष्कासित अथवा उपभोग किए किसी भी खनिज के संबंध में उस खनिज हेतु विनिर्दिष्ट तत्कालीन दर से राज्यांश का भुगतान करेगा जिसमें चूक होने पर शासन उसके पट्टे को निरस्त कर जमा राशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से राजसात कर सकेगा ।

पांच खनन कार्यालयों [3] की विवरणियों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि जुलाई 2000 से मार्च 2003 के दौरान पट्टेदार 29.10 करोड़ रूपये के राज्यांश तथा अनिवार्य किराए का भुगतान करने के लिए दायी थे । इसके विरूद्व पट्टेदारों द्वारा 22.27 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप 1.83 करोड़ रूपये के राज्यांश की कम वसूली हुई । खनन अधिकारियों द्वारा न तो इस राशि की मांग की गई और न ही पट्टेदारों द्वारा इसका भुगतान किया गया ।

इसे अगस्त से सितम्बर 2003 के दौरान इंगित किया गया ; विभाग ने बताया कि प्रकरणों के सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी ।

8.4 पट्टों के पंजीकृत/नवीनीकरण न किए जाने से राजस्व की हानि

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा धारण अधिकारों को अभिहस्तांतरित करने वाले विलेखों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है । भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी खदान के पट्टे के प्रकरण में, जिसमें राज्यांश अथवा उत्पाद का हिस्सा भाड़े या भाड़े के किसी भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है, औसत वार्षिक राज्यांश पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय है । खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अंतर्गत, खनन पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का निराकरण शासन द्वारा उसकी प्राप्ति के दिनांक से 12 माह के भीतर किया जाएगा ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चूना पत्थर इकाइयों के दो पट्टेदारों ने पांच प्रकरणों में 31 मार्च 2004 को पट्टा विलेखों के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया था । लेकिन, चूना पत्थर इकाइयों के किसी भी प्रकरण में, पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया गया यद्यपि पट्टाधारकों द्वारा खनिजों का निष्कासन जारी रखा गया । पट्टों का नवीनीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप पंजीयन फीस तथा मुद्रांक शुल्क के रूप में 7.72 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि निम्न विवरणानुसार हुई :

[3] भोपाल , कटनी , रीवा , शिवपुरी तथा सीधी

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*इकाई का नाम*	*प्रकरणों की संख्या*	*पट्टा अवधि*	*नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का दिनांक*	*औसत राज्यांश राशि*	*मुद्रांक शुल्क*	*पंजीयन फीस*	*कुल वसूली योग्य राजस्व*
1.	कटनी	1	10.6.91 से 9.6.01 (10 वर्ष)	2.6.2000	2.56	0.19	0.14	0.33
		1	15.5.92 से 14.5.02 (10 वर्ष)	15.5.2001	2.57	0.19	0.14	0.33
2.	सतना	1	24.2.81 से 22.12.01 (20 वर्ष)	15.2.2000	5.70	0.43	0.32	0.75
		1	22.6.79 से 21.6.99 (20 वर्ष)	4.6.1998	17.83	1.34	1.00	2.34
		1	17.10.76से 16.10.96 (20 वर्ष)	3.6.1996	30.23	2.27	1.70	3.97
	योग	*5*				*4.42*	*3.30*	*7.72*

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद , खनन अधिकारियों ने बताया कि पट्टों का नवीनीकरण शासन स्तर पर लंबित था ।

8.5 निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले खनिजों पर राज्यांश की वसूली न होना/कम वसूली होना

खदान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि पट्टा क्षेत्र से खनिजों के निष्कासन के समय राज्यांश का अग्रिम भुगतान किया जाएगा ।

आठ खनन कार्यालयों [4] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2001–2002 तथा 2003–2004 के दौरान 8 जिलों में 15,14,915.78 मीट्रिक टन खनिज अर्थात रेत, बोल्डर, गिट्टी तथा मुरम का उपयोग लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा सड़कों के निर्माण तथा अन्य कार्यों हेतु किया गया । लेकिन ठेकेदारों द्वारा न तो राज्यांश का भुगतान किया गया और न ही लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी वसूली की गई जिन्हें कलेक्टर ने वसूली हेतु निर्देश दिए थे । इसके परिणामस्वरूप 2.43 करोड़ रूपये के राज्यांश की कम वसूली हुई ।

[4] बैतूल , दमोह , इन्दौर , रायसेन , रीवा , शहडोल , शिवपुरी तथा सीधी

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद (अगस्त 2003 तथा अप्रैल 2004) विभाग ने बताया कि वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी ।

8.6 अनिवार्य किराए की वसूली न होना

मध्य प्रदेश लघु खनिज नियमावली, 1996 में प्रावधान है कि पट्टाधारक पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिए समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों से अनिवार्य किराए का भुगतान करेगा ।

मार्च 2004 में अभिलेखों की नमूना जांच मे पता चला कि वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम के पक्ष में 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ग्रेनाइट पत्थर की खदान का पट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था । लेकिन इसे जुलाई 1998 से उन्हीं निबंधन और शर्तो पर एक निजी फर्म को हस्तांतरित कर दिया गया । खनन एवं वन विभागों द्वारा भूमि का संयुक्त सीमांकन पूर्ण न होने के कारण मार्च 2004 तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया । इसके परिणाम स्वरूप शासन को देय अनिवार्य किराए के रूप में 23.15 लाख रूपये की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा (मार्च 2004) में इसे इंगित किए जाने के बाद, खनन अधिकारी ने बताया कि वन मंडलाधिकारी से समय–समय पर संयुक्त सीमांकन के लिए कहा गया था लेकिन क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया । अतः पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र का कब्जा प्राप्त नहीं कर सका ।

एक अन्य प्रकरण में, पट्टाधारक को पट्टे की स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष बाद धरातल/पृष्ठ अधिकार दिया गया तथा खनन अधिकारी को जुलाई 2001 अर्थात धरातल/पृष्ठ अधिकार प्रदान करने के दिनांक से अनिवार्य किराए की वसूलो करने के निर्देश दिए गए थे । कब्जा प्रदान करने में विलंब के कारण खनन कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे । इस प्रकार , खनन विभाग / वन विभाग / राजस्व विभाग के मध्य समन्वय के अभाव के कारण शासन अनिवार्य किराए के रूप में 18.63 लाख रूपये के शासकीय राजस्व से वंचित हो गया ।

8.7 पट्टा क्षेत्र पुनः स्वीकृत करने में विलंब के कारण राजस्व की वसूली न होना

लघु खनिज नियमावली, 1996 के अंतर्गत किसी खनन/पत्थर खदान पट्टे या संभावित अनुज्ञप्ति के अंतर्गत पूर्व में धारित या धारित की जा रही भूमि पट्टे की समाप्ति के बाद पुनः स्वीकृत करने के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए अथवा गजट में अधिसूचना जारी करने तथा निर्धारित पंजी में इस आशय की प्रविष्टि करने के पश्चात समर्पित कर देना चाहिए ।

भिण्ड जिले के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि पूर्व पट्टाधारक द्वारा पट्टे की समाप्ति के पश्चात (पट्टा मार्च 2001 में समाप्त हुआ) पट्टे की पुनः स्वीकृति हेतु अधिसूचना जारी नहीं की गई । इस चूक के परिणामस्वरूप अनिवार्य किराए के रूप में वसूल न किए गए राजस्व की राशि 42.46 लाख रूपये थी । इसके अतिरिक्त पूर्व पट्टाधारक के विरूद्व बकाया 2.58 लाख रूपये की राशि की भी वसूली नहीं की गई ।

इसे लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2003) में इंगित किए जाने के बाद, खनन अधिकारी ने बताया कि पट्टे को पुनः आवंटित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा पट्टाधारक से 2.58 लाख रूपये की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किए जा चुके थे (दिसम्बर 2003) ।

8.8 विवरणी प्रस्तुत न किया जाना

मध्य प्रदेश लघु खनिज नियमावली , 1996 के अंतर्गत प्रत्येक पत्थर खदान पट्टाधारक अनुबंध में निर्धारित नियत तिथियों पर मासिक , अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा । यदि ये विवरणियां निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती हैं तो , स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी वार्षिक अनिवार्य किराए की राशि के दुगने से अनधिक राशि पट्टा धारक पर शास्ति के रूप में आरोपित कर सकता है ।

5 खनन कार्यालयों [5] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 28 पट्टाधारकों द्वारा वर्ष 2002–2003 से संबंधित विवरणियां प्रस्तुत न किए जाने के कारण राज्यांश का निर्धारण पूर्ण नहीं किया जा सका । खनन अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 55.55 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

जुलाई 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, खनन अधिकारियों ने बताया कि पट्टाधारकों से विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने में असफल रहा । चूंकि निर्धारित तिथि तक विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए कोई पद्धति निर्धारित नहीं की गई थी ।

5 भिण्ड , छिन्दवाड़ा , ग्वालियर , कटनी तथा रायसेन

अध्याय – 9

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान जल संसाधन , सहकारिता तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 9908 प्रकरणों में 29.44 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली एवं हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
	जल संसाधन विभाग		
1.	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	566	2.02
2.	तकनीकी कर्मचारियों के नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	23	0.01
3.	गलत निर्धारण से जल प्रभारों का कम आरोपण	06	0.65
4.	जल दर एवं सिंचाई उपकर का अनारोपण	05	0.17
5.	जल प्रभारों की लम्बित बकाया राशि की वसूली न करना	105	9.95
6.	अन्य	8,364	3.89
	योग	*9,069*	*16.69*
	सहकारिता विभाग		
1.	अंकेक्षण शुल्क की अवसूली/कम वसूली	268	0.35
2.	बकाया ऋण एवं ब्याज की किश्त की वसूली न करना	73	10.43
3.	अन्य	293	1.42
	योग	634	12.20
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
1.	राजसात माल का निवर्तन न होना	72	0.152
2.	अग्रिम के विलम्बित भुगतानों पर देय ब्याज की वसूली न करना	13	0.374
3.	अन्य	120	0.024
	योग	*205*	*0.55*
	महायोग	*9,908*	*29.44*

विभागों ने 1,266 प्रकरणों में सन्निहित 14.52 करोड़ रूपये के कर के अनिर्धारण/अवनिर्धारण एवं हानि स्वीकार्य की ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों , जिनमें 0.93 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है ।

जल संसाधन विभाग

9.2 समुन्नति अंशदान का अनारोपण

म.प्र. सिंचाई अधिनियम, 1931 मे, नई नहर, जिसका निर्माण 1 अप्रैल 1951 के पश्चात किया गया हो व जिसकी लागत 5 लाख रूपये या अधिक हो, अथवा जिसका सिंच्य क्षेत्र 1000 एकड़ या अधिक हो, से लाभान्वित स्थायी भूमि धारकों से एक मुश्त भुगतान करने पर 140 रूपये प्रति एकड़ की दर से अथवा 20 वार्षिक क्रमागत किश्तों में भुगतान करने पर 224 रूपये प्रति एकड़ की दर से समुन्नति अंशदान के आरोपण का प्रावधान है । अंशदान उस तिथि से वसूली योग्य है जो शासन द्वारा अधिसूचित की जाये, लेकिन यह तिथि नहर चालू होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की न हो ।

दिसम्बर 2003 एवं एवं फरवरी 2004 के मध्य दो जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1997–98 एवं 1999–2000 के मध्य 65.84 करोड़ रूपये की लागत से छः सिंचाई परियोजनाऐं पूर्ण की गई । विभाग ने न तो उन तिथियों को अधिसूचित किया जिनसे समुन्नति अंशदान का आरोपण किया जाना था एवं न ही सिंच्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया । अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न होने से 37.32 लाख रूपये का आरोपण / वसूली न हो सकी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, कार्यपालन यंत्री खरगोन ने दिसम्बर 2003 में बताया कि तालाबों की प्राक्कलन क्षमता 1000 एकड़ से कम सिंच्य क्षेत्र की है , अतः समुन्नति अंशदान का आरोपण नहीं किया गया । कार्यपालन यंत्री खण्डवा ने फरवरी 2004 में बताया कि प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। कार्यपालन यंत्री खरगोन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजनाओं की निर्माण लागत 5 लाख रूपये से अधिक थी, अतः समुन्नति अंशदान भुगतान योग्य था ।

प्रकरण मार्च एवं मई 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005) ।

सहकारिता विभाग

9.2 अंकेक्षण शुल्क का कम आरोपण

म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 मे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार प्रत्येक समिति के लेखाओं की संपरीक्षा किये जाने या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे विशेष आदेश द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो , से करवाने का प्रावधान है । इसके द्वारा अंकेक्षित इकाइयों से शसन द्वारा अक्टूबर 1987 को जारी अधिसूचना में निर्धारित दर 0.15 रूपये प्रति 100 रूपये कार्यशील पूंजी पर एवं इसके अलावा 500/– रूपये प्रति शाखा की दर से संपरीक्षा शुल्क प्रभारित किया जावेगा। बाद में शासन द्वारा ये दरें अगस्त 2001 में कम कर दी गयीं ।

अगस्त 2002 एवं अगस्त 2003 के मध्य तीन सहायक पंजीयक सहकारी समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नौ सहकारी इकाइयों की वर्ष 2000–2001 के लिये सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण 30 अगस्त 2001 से पूर्व लागू उच्चतर दरों से किया जाना था । प्रभारणीय सम्परीक्षा शुल्क 68.02 लाख रूपये के विरूद्व, 32.67 लाख रूपये प्रभारित किये गये । इसके परिणामस्वरूप 35.35 लाख रूपये के सम्परीक्षा शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद , सहायक पंजीयकों [1] ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन करने के समय नवीन दरें लागू किये जाने योग्य थी । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अंकेक्षण वर्ष 2000–2001 के लिये किया गया था एवं इस अवधि के लिये निर्धारित दरें ही प्रभारित की जानी थी ।

प्रकरण जुलाई 2003 एवं मई 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005)।

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

9.4 ऋण के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

मध्य प्रदेश शासन खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा वर्षाकाल में दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण हेतु भण्डारण के लिये विभिन्न जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण प्रदाय किये गये ऋण प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक वापस किये जाने थे । चूक होने पर, वर्ष की 1 नवम्बर से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारणीय था ।

सितम्बर एवं अक्टूबर 2003 के मध्य तीन खाद्य अधिकारियों [2] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1998–99 से 2002–03 के मध्य की अवधि में दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण हेतु खाद्यान्न एकत्रित करने एवं भण्डारण हेतु 3.72 करोड़ रूपये के ऋण तीन जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रदाय किये गये थे । बैंकों द्वारा इस ऋण की वापसी प्रति वर्ष 1 से 341 दिनों की विलम्बित अवधि के पश्चात की गई । इसके उपरान्त भी संबंधित बैंकों से 20.03 लाख रूपये की राशि का ब्याज आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया ।

1 (1) भिण्ड (2) गुना (3) विदिशा ।

2 (1) राजगढ़ (2) रायसेन (3) सीहोर

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद , विभाग द्वारा सितम्बर एवं अक्टूबर 2003 के मध्य उत्तर में दर्शाया कि ऋणों पर ब्याज की वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

प्रकरण शासन को नवम्बर 2003 एवं जनवरी 2004 के मध्य प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005)।

भोपाल
दिनांक

(मीरा स्वरूप)
महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक